इकाई 3

प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण
(PRIORITY SECTOR LENDING)

परिचय

तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि (1961–66) के दौरान भारत को चीन (1962) के विरोध का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान (1965) के साथ भी युद्ध हुआ। देश में 1965 के दौरान एक गंभीर सूखा पड़ा। 'मुद्रास्फीति' (Inflation) युद्ध के बाद होने वाले प्रभावों में से एक था, जिसका सामना देश को करना पड़ा। इसके चलते 'कीमतों के विस्फोट'(price volatility) को नियंत्रित करना पहली प्राथमिकता बन गई। अनुमानित वृद्धि दर 5.6 की तुलना में 2.4 प्रतिशत हो गई। तीसरी योजना की विफलता से निराश होकर सरकार ने 1966–67, 1967–68 और 1968–69 के दौरान 'वार्षिक योजनाओं' का सहारा लिया। वर्ष 1966–67 की अवधि के दौरान देश में एक बार फिर सूखा पड़ा। देश में निर्यात को बढ़ाने की खोज में 'रुपए' का मूल्य घट गया। औद्योगिक क्षेत्र को भी कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों के बराबर प्राथमिकता दी गई। सरकार के ऊपर इसी कारण से 'वार्षिक योजना' को अपनाने का दबाव पड़ा, जो युद्ध, अपर्याप्त संसाधनों तथा बढ़ी हुई मुद्रास्फीति के कारण पैदा हुआ।

अधिकांश भारतीय आबादी अपनी आजीविका के लिए सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर थी। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र 'कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियां' थीं। देश के बैंक इस क्षेत्र की सारी ऋण जरूरतें पूरी करने के लिए इच्छुक नहीं थे। बैंक के प्रबंधन पर बड़े उद्योगों / व्यापार घरानों के मालिकों का पूरा दबाव होता था। बैंकों की प्रक्रियाएं और नीतियां बड़े व्यापार घरानों की जरूरतों के अनुसार तय की जाती थी। ग्रामीण क्षेत्रों के पास अपना व्यापार बढ़ाने के लिए बैंकों का विकल्प नहीं था। बैंक के ऋण की मांग हुआ करती थी, खास तौर पर खेती और इससे जुड़ी गतिविधियों का विकास करने के लिए, उद्योग और स्व रोजगार परियोजनाएं चलाने के लिए भी इनकी जरूरत होती थी। बैंकों को इन क्षेत्रों की ऋण जरूरतें समझने के लिए कहने वाला कोई नहीं था। वर्ष 1967 में सरकार ने इस तथ्य पर विचार किया कि देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों द्वारा अनिवार्य ऋण सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं। यही वह समय था जब प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण देने की जरूरत महसूस की गई। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 1968 में पारित किया गया और इस पर सामाजिक नियंत्रण लाया गया। इसका मुख्य लक्ष्य प्राथमिकता क्षेत्रों को बैंक के ऋण की उचित हिस्सेदारी प्रदान करना था। बैंकों को भी अपने निदेशक मंडल का पुनः गठन करने का निर्देश दिया गया ताकि इसमें कानून, लेखा, बैंकिंग, वित्त, कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था आदि के लोगों को लाया जा सके। फरवरी, 1968 में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ऋण परिषद (National Credit Council) का गठन किया

गया। इस परिषद के मुख्य कार्यों में से एक प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश बनाना था।

वाणिज्यिक बैंकों को उनकी ऋण प्रदान करने की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर बड़े पैमाने की बैंकिंग की ओर निर्देश दिया गया जिसके लिए संशोधन अधिनियम में 'सामाजिक नियंत्रण' का प्रावधान डाला गया। किन्तु निर्दिष्ट क्षेत्रों जैसे कृषि के लिए ऋण प्रदान करने से मनचाहे परिणाम नहीं मिले। यह पाया गया कि जरूरतमंद क्षेत्रों के ऋण की सहायता अब तक शुरू नहीं हुई थी। बैंकों के लिए ऋण देने की प्राथमिकता बड़े व्यापार घरानों के निधिकरण तक सीमित रह गई। परिणामस्वरूप 14 बड़े बैंक, जो 1969 में देश में काम कर रहे थे, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका एक कारण यह बताया गया कि उन्हें प्राथमिकता क्षेत्रों जैसे कृषि, लघु उद्योग आदि में पर्याप्त ऋण सुविधा प्रदान करनी है। मूलतः प्राथमिकता क्षेत्र का अर्थ उन सभी गतिविधियों से है जिनका राष्ट्रीय महत्व है और जिन्हें प्राथमिकता आधार पर विकास के लिए चुना गया है। इन गतिविधियों का विकास या पर्याप्त बैंक ऋण देने की सुविधा देश के बड़े हित में था और / या इससे आबादी के एक बड़े हिस्से को लाभ मिलता था। बैंकों को तय क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने के लक्ष्य दिए गए, जैसे कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग और निर्यात। इन लक्ष्यों को समय समय पर संशोधित करते हुए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण का नियमित प्रवाह और मात्रा सुनिश्चित की गई।

सत्र –1

प्राथमिक क्षेत्र के ऋण : संकल्पना और मानदण्ड
(PRIORITY SECTOR LENDING: CONCEPT AND NORMS)

संगत ज्ञान

ऋण देने के लिए पद 'प्राथमिकता क्षेत्र' का अर्थ है अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्र जिनका राष्ट्रीय महत्व है, जो देश की बैंकिंग प्रणाली द्वारा वहन किए जाने वाले कुल ऋण में उचित हिस्सेदारी रखता है और इसे क्षेत्र के आवश्यक विकास को सुनिश्चित करने के लिए ऋण वितरण की प्राथमिकता के अनुसार चुना गया। ऋण देने वाले प्राथमिकता के क्षेत्रों पर सरकार का अधिक ध्यान उस समय गया जब 1968 में राष्ट्रीय ऋण परिषद ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रों जैसे कृषि और छोटे पैमाने के उद्योगों के निधिकरण को अधिक महत्वपूर्ण देने की जरूरत बताई। आरबीआई द्वारा नियुक्त अध्ययन समूह की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए प्राथमिकता क्षेत्र के विवरण आधिकारिक तौर पर जारी किए गए। वर्ष 1974 में बैंकों को उनकी ऋण सुविधा बढ़ाने की सलाह दी गई ताकि 1979 तक इन क्षेत्रों के लिए कुल अग्रिम राशि का 1/3 हिस्सा देना सुनिश्चित किया जा सके। आगे चलकर डॉ. के. एस. कृष्णास्वामी की अध्यक्षता में कार्य समूह द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करते हुए प्राथमिकता क्षेत्रों में ऋण देने के लिए कुल अग्रिम राशि के 40 प्रतिशत का लक्ष्य तय किया गया, जो बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में दिया जाना था और इसे 1985 तक हासिल किया जाना था। इसके अलावा, कृषि और कमजोर हिस्सों में ऋण प्रदान करने के लिए प्राथमिकता क्षेत्रों के अंदर ही बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने के उप–लक्ष्य भी निर्धारित किए गए। वर्ष 2005 में जब आरबीआई द्वारा देश की आबादी के एक बड़े हिस्से पर रोजगार संभावी क्षेत्रों और समाज के दुर्बल वर्गों पर इनके प्रभावी पर विचार किया गया और बैंकिंग प्रणाली द्वारा देश में ऋण प्रदान करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। यह निर्णय सी एस मूर्ति की अध्यक्षता में कार्य समूह द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित था और विभिन्न वर्गों के लोगों की ओर से आरबीआई को विचार / सुझाव प्राप्त हुए। आरबीआई की मालेगम समिति ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों को कुछ विशेष शर्तों के अधीन बैंकों द्वारा निधिकरण के प्राथमिकता क्षेत्रों में ऋण देना जारी रखने का सुझाव दिया। क्षेत्र / गतिविधियों / लक्ष्यों / उप–लक्ष्यों को बैंकों द्वारा ऋण देने के प्राथमिकता क्षेत्रों में शामिल किया गया, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर संशोधन किए गए।

जो बैंक प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण प्रदान करने का लक्ष्य स्तर पूरा नहीं कर सकें, उन्हें आरबीआई के निर्देश के अनुसार कम लाभ के साथ निर्दिष्ट निधियों में लक्ष्य / उप–लक्ष्यों को पूरा करने में आई कमी के बराबर राशि का निवेश करना होगा। आरबीआई द्वारा यह बताया गया कि बैंकों द्वारा मांगे गए विनियामक समाशोधन / अनुमोदनों पर विचार करते समय प्राथमिकता क्षेत्रों के निधिकरण हेतु तय लक्ष्यों / उप–लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहने पर विचार किया जाएगा।

प्राथमिक क्षेत्र मानदंड

प्राथमिकता क्षेत्र का व्यापक वर्गीकरण नीचे दिया गया है :

I. कृषि
II. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
III. निर्यात ऋण
IV. शिक्षा
V. आवासीय
VI. सामाजिक मूलसंरचना
VII. नवीकरणीय ऊर्जा
VIII. अन्य

ऊपर दी गई श्रेणियों के तहत सभी गतिविधियां प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत होने के योग्य नहीं हैं। निर्धारित लक्ष्यों और उप–लक्ष्यों को समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या ऑफ–बैलेंस शीट एक्सपोजर की क्रेडिट समतुल्य राशि के प्रतिशत के रूप में सूचित किया गया है, जो पूर्ववर्ती वर्ष की इसी तारीख को है। एएनबीसी की गणना नीचे उल्लिखित के रूप में की गई है।

भारत में बैंक ऋण	ए
बिलों को आरबीआई और अन्य स्वीकृत वित्तीय संस्थानों के साथ फिर से जोड़ा गया	बी
निवल बैंक ऋण	ए–बी
बॉन्ड / डिबेंचर (सांविधिक तरलता अनुपात उद्देश्यों के लिए अनुमोदित प्रतिभूति और परिपक्वता श्रेणी में रखा नहीं गया) में निवेश + अन्य निवेशों को प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में लिए जाने की पात्रता है + प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में कमी के कारण जमा गए + बकाया प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)	सी
मूल संरचना और किफायती आवास के लिए दीर्घकालिक बॉन्ड जारी करने पर छूट हेतु योग्य राशि	डी
इंक्रिमेंटल एफसीएनआर (बी)/ एनआरई जमा के प्रति भारत में पात्र अग्रिम राशि में वृद्धि, सीआरआर / एसएलआर आवश्यकताओं से छूट के लिए अर्हता प्राप्त करना।	ई
समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी),	सी+डी–ई–एफ

ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर (**Off- Balance Sheet Exposure**)

ऐसी गतिविधियों द्वारा बैंकिंग एक्सपोजर, जिन्हें मुख्य बैलेंस शीट में जगह नहीं मिलती, जो न तो परिसंपत्तियां है और न ही देयता हैं, किन्तु इनसे शुल्क या कमिशन के रूप में आय उत्पन्न होती है। इस एक्सपोजर को तुलनपत्र के फुटनोट में लिखा जाता है।

विदेशी मुद्रा संविदा, बैंक द्वारा जारी गारंटी, स्वीकृति आदि ऐसी गतिविधियों के उदाहरण हैं। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की गणना के लिए आरबीआई द्वारा संगत निर्देश देखे जा सकते हैं।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (घरेलू) (**SCHEDULED COMMERCIAL BANKS**)

सभी घरेलू एससीबी द्वारा कुल प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण प्रदान करने के लिए तय मानक उनके समायोजित निवल बैंक ऋण या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर के समकक्ष ऋण में से अधिक स्तर पर होते हैं।

उपरोक्त उल्लिखित आठ श्रेणियों को आबंटित उप–लक्ष्य इस प्रकार हैं :

क्र. सं	श्रेणी	आरबीआई द्वारा आबंटित उप–लक्ष्यों के विवरण
i	कृषि	एएनबीसी या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की ऋण समकक्ष राशि का 18 प्रतिशत। एएनबीसी या सीईएओबीई में से अधिक की 8 प्रतिशत राशि छोटे और वंचित किसानों को ऋण देने के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं, जो कृषि के लिए तय 18 प्रतिशत के लक्ष्य के अंदर है। आरबीआई द्वारा बैंकों से कृषि क्षेत्रों में ऋण लेने वालों को सीधे तौर पर निधिकरण के लिए कहा गया है ताकि 18 प्रतिशत के लक्ष्य के अंदर एएनबीसी या सीईएओबीई के 13.5 प्रतिशत के चरण को प्राप्त किया जा सके।
ii	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	एएनबीसी या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की ऋण की अधिक राशि का 7.5 प्रतिशत।
iii.	निर्यात ऋण	एएनबीसी या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की ऋण की अधिक राशि के 2 प्रतिशत तक इंक्रिमेंटल निर्यात ऋण, प्रति ऋण लेने वाले व्यक्ति को 25 करोड़ रुपए की स्वीकृत सीमा की कैप के साथ और इकाई का कारोबार 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए।
iv	शिक्षा	आरबीआई द्वारा कोई उप – लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं। इसमें 10 लाख रुपए तक ऋण व्यक्तियों को शैक्षिक प्रयोजनों के लिए (व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भी) प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण प्रदान करने के लिए विचार किया जाता है।
v	आवासीय	आरबीआई द्वारा कोई उप–लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं। इसमें 28 लाख रुपए तक (प्रति परिवार) ऋण महानगर में एक घर खरीदने / बनाने के लिए प्रदान किया जाता है। घर की कीमत 35 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें 10 लाख और इससे अधिक की आबादी वाले शहरों को महानगर कहा जाएगा। अन्य शहरों में 20 लाख रुपए तक (प्रति परिवार) का ऋण दिया जाएगा और घर की कुल कीमत 25 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसे प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण में शामिल किया जाता है। आगे प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों में विचार हेतु बैंक के ऋण भी बताए गए

		हैं। क. घर की मरम्मत के लिए 5 लाख रुपए तक और 2 लाख रुपए तक की राशि क्रमशः महानगरों और अन्य शहरों में दी जाती है। ख. बैंकों द्वारा दिए गए ऋण (प्रति घर 10 लाख रुपए से अधिक नहीं) सरकारी एजेंसियों को दिए जाते हैं जो घरों / झुग्गी हटाने / झुग्गी निवासियों के पुनर्वास के कार्य में संलग्न है। ग. इन परियोजनाओं को दिए गए ऋण, जो केवल गरीब लोगों के घरों के निर्माण का कार्य करते हैं, जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 2 लाख रुपए से अधिक नहीं है और घर की कीमत कुल 10 लाख रुपए से अधिक नहीं है। घ. बैंकों द्वारा दिए गए ऋण (प्रति अंतिम उधार लेने वाले व्यक्ति के लिए अधिक से अधिक 10 लाख रुपए) जो बैंक के एक्सपोजर पर कुछ शर्तों के साथ आवासीय प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों को ऋण देने में संलग्न आवासीय वित्त कपंनियों को अनुमोदित किया जाता है। ड. राष्ट्रीय आवास बैंकों के साथ जमा।
vi.	सामाजिक मूल संरचना	आरबीआई द्वारा कोई उप–लक्ष्य तय नहीं किए गए है। उधार लेने वाले प्रति व्यक्ति के लिए अधिक से अधिक 5 करोड़ रुपए का बैंक ऋण जो समाज के लिए स्कूल, अस्पताल तथा अन्य सुविधाओं के लिए बनाया जाता है, जहां 99999 तक की आबादी है (2001 की जनगणना के अनुसार) इन पर प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तौर पर विचार किया जाता है।
vii	नवीकरणीय ऊर्जा	आरबीआई द्वारा कोई उप–लक्ष्य तय नहीं किए गए है। उधार लेने वाले प्रति व्यक्ति के लिए अधिक से अधिक 15 करोड़ रुपए (प्रति परिवार 10 लाख रुपए तक) का बैंक ऋण जो सोलर / मैकेनिकल एनर्जी के रूपांतरण, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग द्वारा समुदाय हेतु सुविधाएं निर्मित करने आदि के लिए दिया जाता है, उसे प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण में शामिल किया जाता है।
viii.	अन्य	आरबीआई द्वारा कोई उप–लक्ष्य तय नहीं किए गए है। जबकि, निम्नलिखित बैंक ऋणों पर प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तौर पर विचार किया जाता है। क. अलग अलग उधार लेने वाले व्यक्तियों को 50000 रुपए तक का बैंक ऋण, जिनकी पारिवारिक आय 100000 रुपए और 160000 रुपए क्रमशः ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों में है तथा इन व्यक्तियों के स्व सहायता समूह / संयुक्त देयता समूह भी हैं।

		ख. गैर किसान व्यक्तियों को साहूकार आदि से ली गई उधार रकम का पूर्व भुगतान करने के लिए बैंक द्वारा 100000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। ग. अलग अलग उधार लेने वाले व्यक्तियों को 5000 रुपए तक की ओवरड्राफ्टिंग करने की अनुमति है, जिनकी पारिवारिक आय 100000 रुपए और 160000 रुपए क्रमशः ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों में है और वे प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक में अपने बचत खाते से ले सकते हैं। घ. अनु. जाति / अनु. जनजाति के लोगों के लाभ के लिए कुछ विशेष राज्य द्वारा प्रायोजित संगठनों को दिया जाने वाला बैंक ऋण।

विदेशी बैंक (**FOREIGN BANKS**)

प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण के लिए मानदंड / लक्ष्य / उप–लक्ष्य, आरबीआई द्वारा आबंटित किए गए हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है –

क्र. सं	श्रेणी	20 शाखाओं से कम वाले विदेशी बैंक या उससे अधिक	20 शाखाओं से कम वाले विदेशी बैंक
1.	कुल प्राथमिकता वाले क्षेत्र	एएनबीसी या सीईएओबीई के अधिक का 40 प्रतिशत। इस लक्ष्य को 31 मार्च 2018 को समाप्त 5 वर्ष के अंदर आरबीआई द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार पूरा किया जाना है।	एएनबीसी या सीईएओबीई के अधिक का 40 प्रतिशत। यह लक्ष्य चरणों में इस के अनुसार पूरा किया जाना है जो हैं 2015–16 : 32 प्रतिशत, 2016–17 : 34 प्रतिशत, 2017–18 : 36 प्रतिशत, 2018–19 : 38 प्रतिशत, 2019–20 : 40 प्रतिशत। आरबीआई ने निर्दिष्ट किया है कि प्रति वर्ष 2 प्रतिशत का अतिरिक्त लक्ष्य, जैसा कि ऊपर बताया गया है, निर्यात के अलावा अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों के निधिकरण से प्राप्त किया जाना है।
2.	कृषि	एएनबीसी या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की ऋण समकक्ष राशि का 18 प्रतिशत। एएनबीसी या सीईएओबीई में से अधिक की 8 प्रतिशत राशि छोटे और वंचित किसानों को ऋण देने के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं, जो कृषि के लिए तय 18 प्रतिशत के लक्ष्य के अंदर	लागू नहीं

		है। इस लक्ष्य को 31 मार्च 2018 को समाप्त 5 वर्ष के अंदर आरबीआई द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार पूरा किया जाना है।	
3.	निर्यात ऋण	एएनबीसी या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की ऋण की अधिक राशि के 2 प्रतिशत तक इंक्रिमेंटल निर्यात ऋण, प्रति ऋण लेने वाले व्यक्ति को 25 करोड़ रुपए की स्वीकृत सीमा की कैप के साथ और इकाई का कारोबार 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। यह 01.04.2017 से प्रभावी है।	एएनबीसी या सीईएओबीई के अधिक का 32 प्रतिशत।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 या अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को 2018–19 से प्राथमिकता क्षेत्र के उप –लक्ष्यों का पालन करने की सलाह दी है, जो खेत के ऋणों और सूक्ष्म उद्यमों के ऋणों के लिए अन्य बैंकों पर लागू होता है।

प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण में शामिल किए जाने वाले निवेश (**Investments which can be included in Priority Sector Lending**)

निम्नलिखित निवेशों को आरबीआई के निश्चित दिशानिर्देशों को पूरा करने के अधीन प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के तौर पर वर्गीकृत करने की पात्रता है।

क. प्रतिभूति परिसंपत्तियों में निवेश।

ख. डायरेक्ट असाइनमेंट / आउटराइट खरीद के माध्यम से परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के लिए किया गया निवेश

ग. इंटर बैंक भागीदारी प्रमाणपत्र, जोखिम साझाकरण के आधार पर खरीदा गया।

घ. बैंकों द्वारा खरीदे गए बकाया प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र।

प्राथमिकता क्षेत्रों में ऋण के निष्पादन की निगरानी आरबीआई द्वारा इस क्षेत्र में बैंक के ऋण का निरंतर आना सुनिश्चित करने के लिए जारी रखी जाती है।

अभ्यास : आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों, उसके विकास, विभिन्न श्रेणियों और निर्धारित लक्ष्यों / उप–लक्ष्यों को समझाते हुए, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण देने पर एक पेपर तैयार करें।

कार्य :

1. अध्यापक विषय ''बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण'' पर एक वाणिज्यिक बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा लक्ष्यों की उपलब्धि में उनके द्वारा कवर की गई समस्याओं का सामना करने पर व्याख्यान की व्यवस्था करें। विषय को समझने के अंतराल में भरने हेतु छात्रों को व्याख्यान के बाद प्रश्न पूछना चाहिए।

2. अध्यापक कक्षा में किए गए अनौपचारिक समूहों में व्यावसायिक बैंकों द्वारा ''प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण'' पर चर्चा करने हेतु छात्रों से कहें और उसके बाद प्रत्येक समूह से एक छात्र को उसके समूह के विचारों के साथ विषय पर भाषण देने के लिए कह सकते हैं। भाषण के बाद, अन्य समूहों के सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं और विषय से संबंधित स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

आकलन :

क. निम्नलिखित के उत्तर दें : –

1. ऋण देने के लिए आप ''प्राथमिकता क्षेत्र'' से क्या समझते हैं?
2. भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के संबंध में प्राथमिकता देने वाले क्षेत्र हेतु मानदंडों / लक्ष्यों / उप–लक्ष्यों का वर्णन करें।
3. 'बैलेंस शीट एक्सपोज़र' शब्द की व्याख्या कीजिए।
4. उन बैंक ऋणों का वर्णन करें जिन्हें 'अन्य' श्रेणी में प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण में माना जाता है।
5. कृषि क्षेत्र के लिए आबंटित उप–लक्ष्य क्या हैं?

ख. रिक्त स्थानों को भरें : –

1. उधार लेने वाले प्रति व्यक्ति के लिए अधिक से अधिक . . . . . का बैंक ऋण जो समाज के लिए स्कूल, अस्पताल तथा अन्य सुविधाओं के लिए बनाया जाता है, जहां . . . . . तक की आबादी है (2001 की जनगणना के अनुसार) इन पर प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तौर पर विचार किया जाता है।
2. घर की मरम्मत के लिए 5 लाख रुपए तक और 2 लाख रुपए तक की राशि क्रमशः . . . . . और अन्य . . . . . में दी जाती है, प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण माना जाता है।
3. अलग अलग उधार लेने वाले व्यक्तियों को 5000 रुपए तक की ओवरड्राफ्टिंग करने की अनुमति है, जिनकी पारिवारिक आय 100000 रुपए और 160000 रुपए क्रमशः ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों में है और वे . . . . . के तहत बैंक में अपने बचत खाते से ले सकते हैं।

4. 20 शाखाओं और इससे अधिक वाले विदेशी बैंकों के लिए कुल प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने का लक्ष्य एएनबीसी या सीईएओबीई का . . . . है।

5. बैंकों द्वारा खरीदे गए बकाया प्राथमिकता वाले क्षेत्र . . . . . आरबीआई के निश्चित दिशानिर्देशों को पूरा करने के अधीन प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के तौर पर वर्गीकृत करने की पात्रता है।

ग. बताएं कि निम्नलिखित कथन सही या गलत :

1. इसमें 10 लाख रुपए तक ऋण व्यक्तियों को शैक्षिक प्रयोजनों के लिए (व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भी) प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण प्रदान करने के लिए विचार किया जाता है।
2. राष्ट्रीय आवास बैंकों के पास जमा राशि प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण देने पर विचार करने के योग्य नहीं है।
3. गैर किसान व्यक्तियों को साहूकार आदि से ली गई उधार रकम का पूर्व भुगतान करने के लिए बैंक द्वारा 100000 रुपए तक के ऋण को प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण माना जाता है।
4. आरबीआई ने निर्दिष्ट किया है कि 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों द्वारा प्रति वर्ष 2019–20 तक, 2 प्रतिशत का अतिरिक्त लक्ष्य, जैसा कि ऊपर बताया गया है, निर्यात के अलावा अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों के निधिकरण से प्राप्त किया जाना है।
5. प्रतिभूति परिसंपत्तियों में निवेश आरबीआई के निश्चित दिशानिर्देशों को पूरा करने के अधीन प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के तौर पर वर्गीकृत करने की पात्रता है।

उत्तर :

ख. 1. 5 करोड़ रुपए, 99999 2. महानगरों, केन्द्रों 3. प्रधानमंत्री जन धन योजना 4. 40 प्रतिशत

5. ऋण प्रमाणपत्र

ग. 1. सही 2. गलत 3. गलत 4. सही 5. सही

आकलन गतिविधियों के लिए जांच सूची

निम्नलिखित जांचसूची का उपयोग करते हुए देखें कि क्या आप आकलन गतिविधि के लिए सभी आवश्यकताएं पूरी करते हैं।

1. वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण देने की संकल्पना और विकास को समझना।
2. वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल विभिन्न श्रेणियों का ज्ञान।
3. प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण में विभिन्न श्रेणियों के लक्ष्यों और उप–लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट करना।
4. विदेशी बैंकों के संबंध में प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के लक्ष्यों को जानना।

निष्पादन मानक	हां	नहीं
वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण देने की संकल्पना और विकास को समझाने में सक्षम		
वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल विभिन्न श्रेणियों की खोज करने में सक्षम		
प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण में विभिन्न श्रेणियों के लक्ष्यों और उप–लक्ष्यों के बारे में बताने में सक्षम		
विदेशी बैंकों के संबंध में प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के लक्ष्यों के बारे में बताने में सक्षम		

सत्र–2

कृषि क्षेत्र में ऋण
(LENDING IN AGRICULTURE SEGMENT)

संगत ज्ञान

कृषि एक गतिविधि या प्रथा या व्यापार है जिसमें खाद्य और अन्य उत्पाद प्रदान करने के लिए फसलों को उगाने हेतु मिट्टी का संवर्धन (कल्चर) किया जाता है और पशुपालन किया जाता है। स्कॉटिश एनाटॉमिस्ट आर्थर कीथ ने कहा ''खेती की खोज सभ्यता के जीवन की दिशा में एक बड़ा कदम था।'' कृषि क्षेत्र द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था में दिया जाने वाला योगदान उल्लेखनीय है। अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र द्वारा बहुत अधिक प्रगति करने के बावजूद 58 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर करते हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान कृषि, मवेशी, वानिकी और मछली पालन द्वारा किया गया योगदान वर्तमान मूल्यों के सकल वर्धित मूल्य (जीवीए) के 20.4 प्रतिशत (अनुमानित) पर बना हुआ है। खाद्यान्न का उत्पादन किसी वर्ष के दौरान 275.68 मिलियन टन के स्तर तक पहुंच गया। भारत की ओर से पूरी दुनिया के कुल दूध उत्पादन में 19 प्रतिशत का योगदान दिया जाता है और यह दूध का सबसे बड़ा उत्पादन है। देश इंस्टेंट कॉफी के निर्यात केन्द्र के रूप में उभर रहा है। वर्ष 2017 में काफी का निर्यात 958.80 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े दर्ज किया गया। बागवानी का परिणाम 2016–17 में 300.64 मिलियन टन दर्ज किया गया। दुनिया में फल उत्पादन के क्षेत्र में भारत का दूसरा स्थान है। कृषि निर्यात की हिस्सेदारी पूरे देश के निर्यात में 10 प्रतिशत है। श्रिम्प के निर्यात में उल्लेखनीय प्रगति की गई है। यह नोट करना अहम होगा कि मसालों और मसालों से बने उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक भारत ही है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में 'कृषि' क्षेत्र का लगभग 14 प्रतिशत योगदान है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय अर्थवयवस्था का विकास कृषि क्षेत्र सहित इसके उप क्षेत्रों (खण्डों) के विकास से नजदीकी तौर पर जुड़ा है। कृषि के विकास से अन्य क्षेत्रों के विकास को भी प्रेरित किया जाता है। आरबीआई के उपराज्यपाल ने सच ही कहा है कि 'यदि कृषि विफल रहती है तो और कोई भी सही दिशा में नहीं जा सकता'। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि कृषि क्षेत्र में संभावनाएं और संभाव्यता अपार हैं।

प्राथमिक क्षेत्र के ऋण – कृषि में श्रेणियां (Priority Sector Lending- Categories in Agriculture)

कृषि क्षेत्र को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण में प्रमुख स्थान प्राप्त है। कृषि क्षेत्र के तीन घटक हैं, जो हैं खेत के ऋण, कृषि मूल संरचना और सहायक गतिविधियां।

खेत के ऋण (Farm Credit) : किसानों को व्यक्तिगत तौर पर बैंक ऋण (एसएचजी या जेएलजी, अर्थात् व्यक्तिगत किसानों के समूह सहित, बशर्ते कि बैंक ऐसे ऋणों का अलग– अलग डेटा बनाए रखा जाए) और किसानों की प्रोपराइटरशिप (स्वामित्व) फर्म, जो सीधे कृषि और संबद्ध गतिविधियों में संलग्न हैं। इसमें शामिल होंगे :

(क) I. बागानों, बागवानी और इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए किसानों को फसल ऋण (Crop loans)।

II. खेती और इससे जुड़ी गतिविधियों (उदाहरण के लिए कृषि उपकरणों और मशीनरी की खरीद के लिए) मध्यम और लंबी अवधि के ऋण, सिंचाई और खेत में की जाने वाली अन्य विकास संबंधी गतिविधियों के लिए ऋण तथा इससे जुड़ी गतिविधियों के विकास ऋण।

III. कटाई के पहले और बाद की गतिविधियों के लिए किसानों को ऋण, उदाहरण के लिए छिड़काव, खरपतवार हटाना, कटाई, छंटाई, ग्रेडिंग और अपने खेत की उपज का परिवहन।

IV. किसानों को अधिक से अधिक 12 माह की अवधि के लिए कृषि उपज को गिरवी/बंधक (pledge/ hypothecation) रखने पर 50 लाख रुपए का ऋण (वेयर हाउस की प्राप्तियों सहित)।

V. तनावग्रस्त किसानों को ऋण जो गैर संस्थागत साहूकारों के कर्जे में डूबे हैं।

VI. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को ऋण।

VII. छोटे और उपेक्षित किसानों को कृषि प्रयोजन के लिए जमीन की खरीद हेतु।

(ख) कॉर्पोरेट किसानों, किसान उत्पादक संगठनों / अलग अलग किसानों की कंपनियों, भागीदार फर्मों तथा किसानों के सहकारी संघों को सीधे तौर पर खेती तथा इससे जुड़ी गतिविधियों के ऋण, जो उधार लेने वाले प्रतिव्यक्ति 2 करोड़ रुपए तक की सीमा में होते हैं। इसमें ऋण शामिल होंगे, जैसा उपरोक्त क्रम सं. (क) के 1 से 4 में बताया गया है।

कृषि मूलसंरचना (**Agriculture Infrastructure**)

विस्तृत ऋण बैंकिंग प्रणाली से कुल स्वीकृत सीमा 100 करोड़ रुपए से कम है।

i) कृषि उत्पादों / उत्पादों को संग्रह करने के लिए डिज़ाइन की गई कोल्ड स्टोरेज इकाइयों / कोल्ड स्टोरेज चेन सहित भंडारण सुविधाओं (गोदामों, मार्केट यार्ड, गोदामों और साइलो) के निर्माण के लिए ऋण।

ii) मृदा संरक्षण और वॉटरशेड विकास।

iii) पादप ऊतक संवर्धन और कृषि–जैव प्रौद्योगिकी, बीज उत्पादन, जैव–कीटनाशकों, जैव–उर्वरक और वर्मी–कम्पोस्ट का उत्पादन।

सहायक गतिविधियां (**ANCILLARY ACTIVITIES**)

(I) किसानों की सहकारी समितियों को उनके सदस्यों द्वारा उगाई गई उपज के निपटान के लिए 5 करोड़ रुपए तक का ऋण।

(II) कृषि–क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र स्थापित करने के लिए ऋण।

(III) खाद्य और कृषि प्रसंस्करण के लिए ऋण, बैंकिंग प्रणाली से ऋण लेने वाले के लिए प्रति 100 करोड़ रु. की कुल स्वीकृत सीमा तक।

(IV) कस्टम सेवा इकाइयों को ऋण, व्यक्तियों, संस्थानों या संगठनों द्वारा प्रबंधित, ट्रैक्टर, बुलडोजर, बोरिंग उपकरण, थ्रेशर, कंबाइन, आदि के बेड़े को बनाए रखने, और जो अनुबंध के आधार पर किसानों के लिए कृषि कार्य करते हैं।

(V) कृषि के लिए ऋण देने पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस), किसान सेवा समितियां (एफएसए और बड़े साइज़ की आदिवासी बहुउद्देशीय समितियां (एलएएमपीएस) को बैंक ऋण।

(VI) कुछ निर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के अधीन कृषि क्षेत्र को ऋण देने के लिए बैंकों द्वारा एमएफआई को स्वीकृत ऋण।

(VII) प्राथमिकता क्षेत्र उधार की कमी के कारण आरआईडीएफ और नाबार्ड के साथ अन्य पात्र फंड के तहत बकाया जमा।

कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 'ऋण' एक महत्वपूर्ण निवेश है। बैंक के वित्त की अवधि या समय के आधार पर छोटी, मध्यम और लंबी अवधि में बांटा जा सकता है। छोटी अवधि के ऋण 15 माह के लिए होते हैं, जबकि मध्यम और लंबी अवधि के ऋण क्रमशः 15 माह से 5 साल और 5 साल से अधिक होते हैं। कम अवधि के ऋण फसल को तैयार करने और छोटी अवधि की जरूरतें पूरी करने के लिए होते हैं। मध्यम और लंबी अवधि के बैंक ऋण इससे जुड़ी गतिविधियों, कृषि मूल संरचना और सहायक गतिविधियों के लिए होते हैं। उदाहरण के लिए, बैंक ऋण सिंचाई, भूमि विकास, फार्म मशीनरी, बागवानी, बागान, कृषि क्लिनिक और कृषि व्यापार केन्द्रों के लिए, दूध पाने के लिए मवेशियों के पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, रेशम संवर्धन आदि के लिए होते हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड (**KISAN CREDIT CARD**)

किसानों की उत्पादन जरूरतों को पूरा करने के लिए, एक किसान के लिए अनुकूल क्रेडिट योजना 1998 में चलाई गई, जिसका नाम ''किसान क्रेडिट कार्ड'' था, इसे आगे चलकर 2004 और 2012 में संशोधित किया गया। यह योजना वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और सहकारियों द्वारा भी चलाई जाती है।

उद्देश्य (**Objective**)

एक सरल प्रक्रिया के साथ ऋण–पैकेज के रूप में किसानों की खेती और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु समय पर और पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई है। क्रेडिट की गणना इसे पूरा करने के लिए की जाती है –

1. फसलों को बढ़ाने के लिए विभिन्न निवेशों (इनपुट) पर खर्च
2. फसल कटाई के बाद खर्च
3. उपज की मार्केटिंग का खर्च
4. किसान परिवार की खपत की जरूरतें
5. फार्म मशीनरी / उपकरणों के रखरखाव के लिए खर्च
6. संबद्ध गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी
7. कृषि और संबद्ध गतिविधियों में निवेश की जरूरतें

क्र. सं. 1 से 6 के ऊपर बताए गए उद्देश्यों के लिए लघु अवधि ऋण की सीमा को मंजूरी दी गई है और और क्र. सं. 7 के उद्देश्य के लिए इसे दीर्घकालिक ऋण long term credit माना जाता है।

पात्रता (**Eligibility**)

किसान–मालिक खेती करने वाले, किराएदार किसान, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार, किसानों के एसएचजी, जेएलजी, किराएदार किसान, बटाईदार आदि।

क्रेडिट सीमा की गणना (**Computation of Credit Limit**)

सीमांत किसानों के अलावा किसानों के लिए (**For the farmers other than Marginal Farmers**)

i) एक वर्ष में एक ही फसल लेने वाले किसानों के मामले में पहले वर्ष की ऋण सीमा (लघु अवधि) : फसल और वास्तविक खेती के क्षेत्रफल वाले हिस्से के लिए वित्त का स्तर + सीमा का 10 प्रतिशत (कटाई के बाद के लिए, किसान के परिवार का खर्च) + सीमा का 20 प्रतिशत (खेत की परिसंपत्तियों के रखरखाव के खर्च के लिए) + फसल बीमा का प्रीमियम, परिसंपत्तियों का बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा।

ii) एक वर्ष में एक ही फसल लेने वाले किसानों के मामले में अगले वर्षों में ऋण सीमा (लघु अवधि) : उपरोक्त गणना के अनुसार पहले वर्ष की लघु अवधि सीमा + सीमा का 10 प्रतिशत जो आने वाले हर वर्ष के लिए वित्त की लागत / स्तर बढ़ाने के लिए होता है (दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष) तथा पांच वर्ष के लिए अवधि ऋण घटक (केसीसी की अवधि)।

iii) एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाने के लिए : ऋण की सीमा को उपरोक्तानुसार घोषित फसल पैटर्न के अनुसार प्रथम वर्ष के लिए उगाई जाने वाली फसलों और अगले प्रत्येक वर्ष के लिए 10 वर्ष की सीमा (दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष) के लिए लागत / स्तर बढ़ाने के लिए वित्त।

iv) निवेश के उद्देश्य के लिए सावधि ऋण : यह भूमि के विकास, लघु सिंचाई, फार्म मशीनरी की खरीद, संबद्ध गतिविधियों आदि के लिए होता है। इसकी सीमा 5 वर्ष की अवधि में किए जाने वाले खाते के निवेश को ध्यान में रखने के बाद रखने और किसान के पुनः भुगतान करने की क्षमता के अनुसार तय किए जा सकते हैं, जैसा कि बैंक द्वारा परखा जाता है।

v) अधिकतम अनुमेय सीमा और उप–सीमाएं : अल्प अवधि के ऋण की गणना पांचवें साल के लिए की जाती है और इसमें सावधि ऋण आवश्यकता के अनुमान को जोड़ा जा सकता है जो अधिकतम अनुमेय सीमा है और यह केसीसी की सीमा है। कार्ड की सीमा दो अलग अलग उप–सीमाओं में बांटी जाती है जो अल्प अवधि नकद क्रेडिट के साथ बचत खाते और सावधि ऋण कहलाती है क्योंकि अल्प अवधि के ऋण तथा अन्य अवधि के ऋण के लिए ब्याज की दर अलग अलग होती है। आहरण की सीमा (Drawing limit) अल्प अवधि नकद ऋण के मामले में फसल के पैटर्न के आधार पर तय की जाती है। वित्त के स्तर में ऊपर की दिशा में बदलाव होने पर यह 10 प्रतिशत से अधिक होता है, आहरण की सीमा की समीक्षा करने की जरूरत होती है और इसे किसान की सहमति से संशोधित किया जाता है। सावधि ऋण में प्रस्तावित किश्तों को आहरित करने की अनुमति होनी चाहिए जो निवेश के प्रकार, पुनः भुगतान अनुसूची, निवेश के आर्थिक जीवन आदि पर निर्भर करता है, किन्तु किसी भी समय पर कुल देयता संगत वर्ष की आहरण सीमा के अंदर होना चाहिए। यदि कार्ड की सीमा इस प्रकार निकाली जाती है तो इससे अतिरिक्त प्रतिभूति की अनिवार्य होती है, बैंक द्वारा नीति के अनुसार उचित को–लेटरल प्राप्त किए जा सकते हैं।

vi) सीमांत किसान : सीमांत किसानों के मामले में, भूमि की धारिता, उगाई गई फसलों आदि के आधार पर 10000 रु. से 50000 रु. की लचीली सीमा होती है। इसकी मिश्रित सीमा को सभी संबंधित व्यय की क्रेडिट जरूरत पर विचार करने के बाद नियत किया जा सकता है, जैसा पांच साल के लिए अन्य किसानों के मामले में बताया गया है।

vii) संवितरण : अल्प अवधि ऋण का घटक परिक्रामी (revolving) नकद ऋण सुविधा का प्रकार है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। निम्नलिखित इनमें से कोई भी विधि अपनाकर उधार लेने वाले व्यक्ति को क्रेडिट दिया जा सकता है।

1. शाखा में संवितरण (Disbursement)
2. चेक सुविधा का उपयोग करते हुए संवितरण।
3. एटीएम / डेबिट कार्ड का उपयोग करते हुए संवितरण
4. व्यापार संवाददाताओं / अन्य छोटे बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से संवितरण।
5. इनपुट डीलरों / चीनी मिलों / अनुबंध कृषि कंपनियों आदि के लिए उपलब्ध 'प्वाइंट ऑफ सेल्स' के माध्यम से संवितरण।
6. कृषि इनपुट डीलरशिप और मंडियों में मोबाइल आधारित हस्तांतरण लेनदेन के माध्यम से संवितरण।

viii) इलेक्ट्रॉनिक केसीसी जारी करना : आरबीआई ने केसीसी खातों में किसानों को स्मार्ट कार्ड कम डेबिट कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है। सांवधि ऋण घटक के लिए अलग इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी किया जा सकता है।

ix) वैधता / नवीकरण : बैंकों को केसीसी की वैधता अवधि और इसकी आवधिक समीक्षा (periodical review) पर निर्णय लेना होता है।

x) ब्याज की दर : ब्याज की लागत दर आरबीआई के मास्टर निर्देश के अनुसार होती है। वर्तमान में ब्याज आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, अल्प अवधि फसल ऋण और तुरंत पुनः भुगतान के लिए यह भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

xi) पुनर्भुगतान की अवधि : इसका निर्णय बैंकों द्वारा फसल उगाने की अवधि को विचार में लेकर किया जाता है, जिसके लिए ऋण दिया जाता है और इस उपज को बेचने की अवधि के लिए होता है। सावधि ऋणों के लिए यह आम तौर पर 5 साल होता है। बैंक पुनर्भुगतान की लंबी अवधि की अनुमति दे सकते हैं, जिसके लिए वे उधार लेने वाले व्यक्ति की पुनर्भुगतान क्षमता और परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन को विचार में लेते हैं।

xii) मार्जिन : बैंक अपने नीति दिशानिर्देशों के अनुसार इसका निर्णय ले सकते हैं।

xiii) प्रतिभूति मानदंड : आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार। वर्तमान में एक लाख रुपए तक की केसीसी सीमाओं हेतु कोई मार्जिन या प्रतिभूति तय नहीं की गई है। फसल को गिरवी रखना एक मात्र प्रतिभूति है जो ऋणदाता बैंक द्वारा ली जाती है। यदि वसूली के लिए कोई तय व्यवस्था मौजूद है तो बैंक फसलों को गिरवी रखकर 3 लाख रुपए तक की केसीसी सीमा कोई को–लेटरल लिए बिना देने पर

विचार कर सकता है। बैंकों के पास यह निर्णय लेने का अधिकार है कि किसी गठबंधन के मामले में वे को–लेटरल प्रतिभूति प्राप्त करें तथा वसूली की कोई व्यवस्था नहीं होने पर वे 1 लाख और 3 लाख रुपए की सीमा तक ऋण दे सकते हैं। जहां भूमि के रिकॉर्ड पर प्रभार बनाने की ऑनलाइन सुविधा है, वहां इसका उपयोग किया जा सकता है।

xiv) बीमा : केसीसी उधार लेने वाले लोग उनकी इच्छानुसार सुविधाप्रदाता से बीमा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और अनिवार्य फसल बीमा ले सकते हैं।

xv) बैंकों के पास यह निर्णय लेने का अधिकार है कि वे कार्रवाई शुल्क, निरीक्षण प्रभार आदि तय कर सकें।

xvi) बैंकों को वेयर हाउस रसीद के आधार पर प्रक्रिया और दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण के अनुरोध पर विचार करने की सिफारिश की जाती है। मंजूरी मिलने के बाद इसे फसल ऋण खाते के साथ जोड़ जा सकता है। बकाया ऋण का निपटान गिरवी रखी हुई उपज की तुलना में ऋण के मिलने के साथ समयोजित किया जा सकता है, किन्तु इसमें किसान की सहमति होनी चाहिए।

आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रोविजनिंग के लिए आरबीआई द्वारा तय किए गए बुद्धिमानी के मानक कृषि ऋण पर भी लागू होते हैं।

कुछ कृषि गतिविधियों के लिए ऋण (**Lending for some Agriculture Activities**)

सुविधा का प्रकार	गतिविधि	उधारकर्ता– पात्र	बैंकों द्वारा आवश्यक कुछ दस्तावेज
सावधि ऋण	भूमि विकास गतिविधियाँ जिनमें भूमि समतल करना, आकार देना, खारा / क्षारीय मिट्टी का उपचार, बाड़ लगाना आदि शामिल हैं।	किसानों को भूमि के मालिक	व्यावसायिक / कुशल व्यक्ति से किए जाने वाले कार्यों के लिए लागत का अनुमान।
सावधि ऋण	लघु सिंचाई परियोजनाएं, जिसमें कुओं की खुदाई, नदियों से पानी लाना, पाइपलाइनों को बिछाना, ड्रिप / स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापित करना, डीजल इंजन / इलेक्ट्रिकल पंप सेट खरीदना आदि शामिल हैं।	पानी के बारहमासी स्रोत वाले किसान सिंचाई के लिए उपयुक्त हैं।	सिविल कार्यों के लिए व्यय का अनुमान, खरीदी जाने वाली संपत्ति के लिए कोटेशन, स्वामित्व की पुष्टि करने के लिए भूमि रिकॉर्ड की प्रतिलिपि, भूजल की उपलब्धता का प्रमाण पत्र आदि।

सावधि ऋण	फार्म मशीनीकरण जिसमें ट्रैक्टर, कंबाइन, स्प्रेयर, हार्वेस्टर, पावर टिलर आदि की खरीद शामिल है।	कृषि मशीनरी की आवश्यकता को उचित ठहराने के लिए किसानों के पास पर्याप्त भूमि है।	वाणिज्यिक रिपोर्ट, कृषि मशीनरी के लिए कोटेशन, भूमि रिकॉर्ड की प्रतिलिपि, आदि। परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक व्यवहार्यता की जांच की जानी चाहिए।
सावधि ऋण /नकद ऋण	कृषि–क्लिनिक, कृषि–सेवा केंद्र और कृषि–व्यवसाय	चयनित गतिविधि के लिए उपयुक्त योग्य स्नातक / तकनीकी रूप से योग्य व्यक्ति।	योग्यता / अनुभव का प्रमाण। आवश्यक मशीनरी, उपकरण और अन्य कृषि वस्तुओं आदि के लिए कोटेशन।
सावधि ऋण / अल्पावधि ऋण	फल, फूल, अल्पकालिक फल, सब्जियां आदि उगाना और ग्रीन हाउस / बगीचों / बागों आदि का विकास / रखरखाव करना।	खेती योग्य जमीन वाले किसान।	भू–अभिलेख, परियोजना रिपोर्ट, बागवानी विभाग से व्यवहार्यता रिपोर्ट, मिट्टी / पानी परीक्षण रिपोर्ट, प्रस्तावित खर्च के लिए कोटेशन और अनुमान आदि।
सावधि ऋण	डेयरी फार्मिंग जिसमें छोटी डेयरी इकाइयां स्थापित करना शामिल है।	छोटे किसान, भूमिहीन खेतिहर मजदूर आदि।	मवेशियों, भूमि रिकॉर्ड, कोटेशन, अन्य खर्चों के अनुमान आदि का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।

बैंकों द्वारा फार्म क्रेडिट, कृषि मूल संरचना और सहायक गतिविधियों के तहत शामिल विभिन्न गतिविधियों के लिए ऋण दिया जा सकता है जो उनके नीति दिशानिर्देशों के पालन में दिए जाते हैं।

अभ्यास :

1) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि के निधिकरण हेतु 'किसान क्रेडिट कार्ड' योजना पर एक विस्तृत नोट तैयार करें।

2) छात्र विषय ''कृषि में प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण'' औपचारिक समूहों में, आपस में चर्चा करें। कक्षाकक्ष में प्रत्येक समूह से एक छात्र एक प्रस्तुतीकरण बनाएं।

कार्य :

1) अध्यापक विषय ''कृषि क्षेत्र में प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण'' पर आरबीआई / नाबार्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा व्याख्यान की व्यवस्था करें। छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें।

2) अध्यापक को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की ग्रामीण शाखा में दौरे की व्यवस्था करनी चाहिए। छात्र कृषि क्षेत्र में ऋण देने से संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत कर सकते हैं।

आकलन :

क. निम्नलिखित के उत्तर दें : –

1. भारत में 'कृषि' का क्या महत्व है।
2. वाणिज्यिक बैंकों की प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण हेतु कृषि–ऋण में किन गतिविधियों पर विचार किया जाता है।
3. बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण में दी जाने वाली सहायक गतिविधियों का वर्णन करें।
4. 'किसान क्रेडिट कार्ड' के तहत बैंक वित्त प्राप्त करने हेतु कौन पात्र हैं।
5. केसीसी स्कीम में क्रेडिट की गणना किन व्ययों के लिए की जाती है।

ख. रिक्त स्थानों को भरें : –

1. दुनिया में फल उत्पादन के क्षेत्र में भारत का . . . . . है।
2. देश . . . . . के निर्यात केन्द्र के रूप में उभर रहा है।
3. कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 'ऋण' एक महत्वपूर्ण . . . . . .है।
4. कृषि और संबद्ध गतिविधियों में दीर्घावधि ऋण को . . . . . के लिए माना जाता है।
5. केसीसी उधार लेने वाले लोग उनकी इच्छानुसार सुविधाप्रदाता से बीमा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और . . . . बीमा ले सकते हैं।

ग. बताएं कि निम्नलिखित कथन सही या गलत :

1. कृषि निर्यात की हिस्सेदारी पूरे देश के निर्यात में 10 प्रतिशत है।
2. केसीसी में कृषि और संबद्ध गतिविधियों में निवेश की जरूरतों के लिए वित्त की अनुमति नहीं है।
3. सीमांत किसानों के मामले में, केसीसी में भूमि की धारिता, उगाई गई फसलों आदि के आधार पर 10000 रु. से 50000 रु. की लचीली सीमा होती है।
4. बैंकों के पास यह निर्णय लेने का अधिकार नहीं है कि वसूली के लिए किसी गठबंधन होने और गठबंधन व्यवस्था के मामले में वे को–लेटरल प्रतिभूति प्राप्त करें।

5. कृषि वित्त में, भूमि विकास गतिविधियाँ जिनमें भूमि समतल करना, आकार देना, खारा / क्षारीय मिट्टी का उपचार, बाड़ लगाना आदि शामिल हैं।

उत्तर :

ख. 1. दूसरा स्थान 2. इंस्टेंट कॉफी 3. निवेश 4. निवेश 5. अनिवार्य फसल

ग. 1. सही 2. गलत 3. गलत 4. गलत 5. सही

आकलन गतिविधियों के लिए जांच सूची

निम्नलिखित जांचसूची का उपयोग करते हुए देखें कि क्या आप आकलन गतिविधि के लिए सभी आवश्यकताएं पूरी करते हैं।

1. भारत में कृषि के महत्व को समझना।
2. कृषि क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों और गतिविधियों का ज्ञान, जिन्हें बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण में माना जाता है।
3. कृषि क्षेत्र के निधिकरण की केसीसी योजना के बारे में स्पष्टता।
4. कृषि क्षेत्र में कुछ अन्य गतिविधियों के लिए ऋण देने का ज्ञान।

निष्पादन मानक	ळां	नहीं
भारत में कृषि के महत्व को समझने में सक्षम		
कृषि क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों और गतिविधियों का ज्ञान, जिन्हें बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण में माना जाता है		
कृषि क्षेत्र के निधिकरण की केसीसी योजना के बारे में जानने के लिए सक्षम		
कृषि क्षेत्र में कुछ अन्य गतिविधियों के ऋण देने के बारे में जानने के लिए सक्षम		

सत्र – 3

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए ऋण
(LENDING TO MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES)

संगत ज्ञान

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र' (एमएसएमई) की वृद्धि से देश के आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान के साथ बड़े पैमाने पर समाज को भी लाभ होता है। एमएसएमई इकाइयों को बड़े उद्योगों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ता है जो अर्थव्यवस्था के स्तर से लाभ उठा सकते हैं। अपने आप में इस क्षेत्र की इकाइयों को विकास करने और बने रहने के लिए विशेष स्थिति की जरूरत होती है।

एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 में अस्तित्व में आया। एमएसएमई को पुनः परिभाषित किया गया और 'सेवा क्षेत्र' को भी इसमें शामिल किया गया था। अधिनियम के अनुसार कुछ संगत परिभाषाएं इस प्रकार हैं।

विनिर्माण उद्यम वे उद्यम हैं जो वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन में शामिल होते हैं। एक 'उद्यम' केवल एक उद्यम या एक गतिविधि है। एक निर्माण उद्यम को आगे इस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है

- सूक्ष्म उद्यम : एक उद्यम, जिसका संयंत्र और मशीनरी में मूल निवेश 25 लाख रुपए से अधिक नहीं है।
- लघु उद्यम : एक उद्यम, जिसका संयंत्र और मशीनरी में मूल निवेश 25 लाख रुपए से अधिक है, लेकिन 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।
- मध्यम उद्यम : एक उद्यम, जिसका संयंत्र और मशीनरी में मूल निवेश 5 करोड़ रुपए से अधिक है, लेकिन 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।

यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि संयंत्र और मशीनरी में लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट भूमि और भवन और कुछ अन्य वस्तुएं शामिल नहीं हैं।

सेवा उद्यम सेवा प्रदान करने में शामिल उद्यम हैं। उपकरणों में मूल निवेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम सेवा उद्यमों को परिभाषित करने का आधार है।

- सूक्ष्म उद्यम : एक उद्यम, जिसका उपकरण में मूल निवेश 10 लाख रुपए से अधिक नहीं है।
- लघु उद्यम : एक उद्यम, जिसका उपकरण में मूल निवेश 10 लाख रुपए से अधिक है, किन्तु 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।
- मध्यम उद्यम : एक उद्यम, जिसका उपकरण में मूल निवेश 2 करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।

एमएसएमई क्षेत्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के नियम (**Priority Sector Rules in MSME Sector**)

बैंक की ओर से एमएसएमई को विनिर्माण या उत्पादन के लिए ऋण दिया जाता है जिसे कुछ विशेष शर्तों के साथ प्राथमिकता क्षेत्र का ऋण कहा जाता है। बैंक द्वारा सेवा क्षेत्र को दिया जाने वाला ऋण भी किसी सीमा के बिना एमएसएमई को ऋण देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र का ऋण कहा जाता है। बैंक द्वारा खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र की इकाइयों को भी प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण दिए जाते हैं।

जैसा कि उल्लेख किया गया है बैंक के ऋणों को भी प्राथमिकता क्षेत्र ऋण कहा जाता है।

क. उन इकाइयों को ऋण जो विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन्हें निवेश की आपूर्ति में सहायता और दस्तकारों (artisans), ग्राम और कुटीर (cottage) उद्योगों के उत्पादों की मार्केटिंग में सहायता मिलती है।

ख. विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों (जैसे दस्तकारों, ग्राम और कुटीर उद्योगों आदि) के उत्पादकों के सहकारी संघों को ऋण।

ग. सूक्ष्म वित्त संस्थानों को कुछ विशिष्ट शर्तों के अधीन एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने के लिए बैंक का निधिकरण।

घ. सामान्य क्रेडिट कार्ड के तहत बकाया ऋण, जो गैर कृषि उद्यमी व्यक्तियों / उधार लेने वालों की ऋण जरूरतें पूरी करने के लिए उपयोग किया जाता है।

ङ बैंकों की ओर से प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाय) खातों के तहत 5000 रु. तक का ओवरड्राफ्ट करने की सुविधा सूक्ष्म उद्यमियों को देने पर विचार किया जाता है, यदि उधार लेने वाले परिवार की आय ग्रामीण क्षेत्रों में 100,000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं है और गैर ग्रामीण क्षेत्रों में 1,60,000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं है।

च. बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की कमी को पूरा करने के लिए सिडबी और मुद्रा लिमिटेड के साथ राशि जमा की जाती है।

छ. ऐसे विदेशी बैंक जिनकी 20 या इससे अधिक शाखाएं हैं, उन्हें उप–लक्ष्य तय करने का निर्देश दिया जाता है ताकि वे अपने कुल ऋण की राशि के भाग के रूप में एमएसएमई और अन्य लोगों को ऋण दे सकें, ताकि उनके लिए तय किए गए प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के एएनबीसी या सीईएओबीई से 40 प्रतिशत अधिक का लक्ष्य हासिल किया जा सके। एमएसई के लिए ऋण हेतु एएनबीसी या सीईएओबीई से 7.5 प्रतिशत अधिक का उप – लक्ष्य 2018–19 से लागू होगा।

एमएसएमई को ऋण – दिशानिर्देश (**LENDING TO MSMEs - Guidelines**)

एमएसएमई की वृद्धि का समर्थन करने के लिए बैंक वित्त एक महत्वपूर्ण योगदान कारक है। ऋण नीति के कुछ तत्व नीचे व्यक्त किए गए हैं।

1. एमएसएमई को बैंक वित्त को प्राथमिकता क्षेत्र का ऋण माना जाता है।
2. बैंकों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया है –
   (I) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में प्रति वर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि।
   (II) सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि।
   (III) सूक्ष्म उद्यमों को पिछले वर्ष की इसी तिमाही के अनुसार एमएसई क्षेत्र को कुल ऋण का 60 प्रतिशत।

ये निर्देश एमएसएमई पर प्रधान मंत्री के कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर जारी किए गए थे।

3. बैंकों को मैनुअल या ऑनलाइन तरीके से प्राप्त होने वाले सभी ऋण आवेदनों की पावती (acknowledge) जारी करने की जरूरत होती है। आवेदनों और इनसे संबंधित पावती पर एक जारी क्रम संख्या लगाई जाती है। बैंकों को केन्द्रीय पंजीकरण की प्रक्रिया, ऑनलाइन जमा करने तथा एमएसई ऋण आवेदनों की ई–ट्रैकिंग के लिए तरीका तय करने का निर्देश दिया गया है।
4. बैंकों को एमएसई क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए किसी को–लेटरल प्रतिभूति को स्वीकार नहीं करना होता है और एमएसई इकाई के अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड / वित्तीय स्थिति के मामले में 25 लाख रुपए तक के ऋण के लिए को–लेटरल प्रतिभूति लेने की जरूरत नहीं भी हो सकती है, जिसके लिए उचित प्राधिकरण का अनुमोदन लिया जाता है। को–लेटलर प्रतिभूति के बिना 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रधानमंत्री रोजगार उत्पादन कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता पाने वाले उधारकर्ताओं को दिया जाता है जिसका निरीक्षण खादी और ग्रामोद्योग आयोग करता है। बैंकों से कहा जाता है कि वे अपने फील्ड कर्मचारियों को को–लेटरल के बिना ऋण की क्रेडिट गारंटी योजना के तहत कवर पाने के लिए लोगों को प्रेरित करें।
5. बैंक द्वारा एमएसई उद्यमियों को उनकी कामकाजी पूंजी और सावधि ऋण की जरूरतों का फायदा उठाने के लिए एक ही स्थान पर 1 करोड़ रुपए की सीमा का सम्मिश्रित (composite) ऋण मंजूर किया जा सकता है।
6. बैंकों को अच्छी तरह चलने वाले एमएसई को समय पर और पर्याप्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, खास तौर पर वित्तीय कठिनाई के समय, अपनी ऋण देने की नीतियों को बेहतर बनाने का निर्देश दिया गया है।
7. बैंकिंग कोड एण्ड स्टैंड्र्ड बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा तैयार कोड के अनुसार यह उम्मीद की जाती है कि बैंक एमएसई ऋण आवेदनों का निपटान करेंगे।

   i. दो सप्ताह की अवधि के अंदर एक नई क्रेडिट सीमा के लिए या 5 लाख रुपए तक की वृद्धि।
   ii. दो सप्ताह के अंदर क्रेडिट सीमा 5 लाख रुपए से अधिक और 25 लाख रुपए तक।
   iii. छः सप्ताह के अंदर प्राप्ति की तारीख से 25 लाख रुपए से अधिक की क्रेडिट सीमा के लिए, बशर्ते आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण हो। जबकि, एमएसई ऋण आवेदनों के निपटान के समय को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

8. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अनुदेश दिया गया है कि वे हर जिले में कम से कम एक विशेष शाखा खोलें। जिन शाखाओं में 60 प्रतिशत या अधिक की राशि एमएसएमई क्षेत्र को ऋण के रूप में दी गई है, उन्हें एमएसएमई शाखाओं के रूप में नाम दिया जाए ताकि वे इस क्षेत्र को बेहतर सेवा प्रदान कर सकें। एमएसएमई क्षेत्र में ऋण की प्रदायगी बढ़ाने के लिए छोटे उद्यमों की बहुलता वाले क्षेत्रों की इन विशेष शाखाओं द्वारा उद्यमियों को बैंक ऋण आसानी से उपलब्ध कराने का सुनिश्चय किया जाएगा और संगत विशेषज्ञता वाले बैंक कर्मियों का विकास होगा। इन शाखाओं के अधिकारी को उचित प्रशिक्षण दे सकता है ताकि एमएसएमई क्षेत्र को दी जाने वाली वित्त और अन्य सेवाएं पेशेवर तरीके से दी जाएं और इनकी सेवाओं का उपयोग अन्य क्षेत्रों / उधारकर्ताओं के निधिकरण / अन्य सेवाएं प्रदान करने में किया जा सके।
9. को–लेटरल प्रतिभूति या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना बैंक ऋण तक आसान पहुंच वास्तविक संदर्भ में उभरते हुए उद्यमियों के लिए एक बड़ा समर्थन है। भारत सरकार ने क्रेडिट गारंटी योजना तैयार की है जो उभरते हुए उद्यमियों को सहायता देती है, जो अपना उद्यम शुरू करने के लिए तो सक्षम हैं, किन्तु वे बैंकों से ऋण पाने के लिए को–लेटरल / तीसरे की गारंटी प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। अब बैंक प्रस्तावित परियोजना / प्राथमिकता प्रतिभूतियों के साथ गतिविधि की व्यवहार्यता के मूल्य निरूपण () पर फोकस कर सकते हैं। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऋण देने वाले संस्थानों को योजना के तहत पुष्टि प्रदान करते हैं कि यदि उधार लेने वाला व्यक्ति पुनः भुगतान करने में विफल रहता है तो तय सीमा तक उठाए गए नुकसान को बर्दाश्त किया जा सके।

आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18 में बताया गया है कि 26041 बिलियन रुपए की कुल क्रेडिट राशि में से नवम्बर 2017 को एमएसएमई के पास केवल 17.4 प्रतिशत का ऋण था, जबकि 82.6 प्रतिशत की राशि बड़े उद्यमों को दी गई। पुनः, ऋण का विस्तार एनपीए के कम स्तर के बावजूद एसएमई में कम रहा है।

देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाने की जरूरत है।

अभ्यास : 'एमएसएमई को ऋण' पर एक नोट लिखें।

कार्य : अध्यापक विषय 'एमएसएमई को ऋण' पर किसी भी विशेष एसएमई बैंक शाखा के वरिष्ठ अधिकारी के व्याख्यान की व्यवस्था करें। छात्रों को विषय की अपनी समझ बढ़ाने हेतु व्याख्यान के अंत में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें।

आकलन :

क. निम्नलिखित के उत्तर दें : –

1. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को परिभाषित करें।
2. एमएसएमई को दिए जाने वाले बैंक ऋणों का वर्णन करें, जो कि प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण देने के योग्य माने जाते हैं।
3. प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु 20 शाखाओं और उससे अधिक वाले विदेशी बैंकों को दिए जाने वाले निर्देश समझाएं।
4. एमएसएमई को ऋण देने के किसी भी चार दिशानिर्देशों को स्पष्ट करें।
5. बीसीएसबीआई द्वारा बताए गए एमएसई आवेदनों के निपटान के लिए क्या समय निर्धारित होता है।

ख. रिक्त स्थानों को भरें : –

1. उद्यम को एक . . . . . या एक . . . . . के रूप समझा जा सकता है।
2. उपकरणों में मूल . . . . .सूक्ष्म, लघु और मध्यम सेवा उद्यमों को परिभाषित करने का आधार है।
3. . . . . या . . . . . की गारंटी के बिना बैंक ऋण तक आसान पहुंच वास्तविक संदर्भ में उभरते हुए उद्यमियों के लिए एक बड़ा समर्थन है।
4. बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की कमी को पूरा करने के लिए . . . . . और . . . . . के साथ राशि जमा की जाती है।
5. जिन शाखाओं में . . . . . की राशि एमएसएमई क्षेत्र को ऋण के रूप में दी गई है, उन्हें एमएसएमई शाखाओं के रूप में नाम दिया जाए ताकि वे इस क्षेत्र को बेहतर सेवा प्रदान कर सकें।

ग. बताएं कि निम्नलिखित कथन सही या गलत :

1. एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 में अस्तित्व में आया।

2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अनुदेश दिया गया है कि वे हर राज्य में कम से कम एक विशेष शाखा खोलें।
3. बैंकों को केन्द्रीय पंजीकरण की प्रक्रिया, ऑनलाइन जमा करने तथा एमएसई ऋण आवेदनों की ई–ट्रैकिंग के लिए तरीका तय करने का निर्देश दिया गया है।
4. क्रेडिट गारंटी योजना तैयार की है जो उभरते हुए उद्यमियों को सहायता देती है, जो अपना उद्यम शुरू करने के लिए तो सक्षम हैं, किन्तु वे बैंकों से ऋण पाने के लिए को–लेटरल / तीसरे की गारंटी प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं।
5. बैंक एमएसई उद्यमियों को एक सम्मिश्रिव्र ऋण मंजूर नहीं कर सकते हैं।

उत्तर :

ख. 1. उद्यम, गतिविधि 2. निवेश 3. को–लेटरल प्रतिभूति, तीसरे पक्ष 4. सिडबी, मुद्रा लिमिटेड 5. 60 प्रतिशत या अधिक

ग. 1. सही 2. गलत 3. सही 4. सही 5. गलत

आकलन गतिविधियों के लिए जांच सूची

निम्नलिखित जांचसूची का उपयोग करते हुए देखें कि क्या आप आकलन गतिविधि के लिए सभी आवश्यकताएं पूरी करते हैं।

1. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार कुछ शब्दों की परिभाषा को समझना।
2. एमएसएमई को ऋण देने में प्राथमिकता क्षेत्र के बारे में स्पष्टता।
3. एमएसएमई को ऋण देने से संबंधित विभिन्न दिशा–निर्देशों का ज्ञान।

निष्पादन मानक	ळां	नहीं
एमएसएमई से जुड़ी कुछ प्रासंगिक शब्दों की परिभाषा को जानने में सक्षम		
एमएसएमई को ऋण देने में प्राथमिकता क्षेत्र को समझने में सक्षम		
एमएसएमई को ऋण देने के लिए लागू विभिन्न दिशानिर्देशों को समझाने में सक्षम		

सत्र –4

कम वर्गों वाले लोगों के लिए ऋण
(LENDING TO WEAKER SECTIONS)

संगत ज्ञान

भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर प्रदर्शित हुई और इसे अगले तीन सालों में 7 प्रतिशत से अधिक के स्तर पर बने रहने की उम्मीद है। दुनिया भारत को एक तेज गति से विकसित होते देश के रूप में मान्यता देती है। देश में गरीबी हटाने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है और समाज के सभी वर्गों के बीच आर्थिक विकास के लाभ को समान रूप से फैलाने की जरूरत है। बैंक अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाणिज्यिक बैंक राष्ट्रीयकरण के समय से ही उपेक्षित क्षेत्रों (अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता क्षेत्र) को ऋण देते आए हैं। उचित लागत पर बैंक के ऋण देना समाज के वंचित वर्गों की कई समस्याओं तथा देश की अर्थव्यवस्था के उपेक्षित क्षेत्रों के लिए एक समाधान है।

1972 में जब भारत में प्रचालित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रों को ऋण देने की शुरूआत की गई, इसे आधिकारिक तौर पर आरबीआई द्वारा समझाया गया था। जबकि, इन क्षेत्रों को पहले खोजा गया और मान्यता दी गई। आगे चलकर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (घरेलू) को मार्च 1985 तक उनकी कुल अग्रिम राशियों के 40 प्रतिशत तक प्राथमिकता क्षेत्र स्तर को पाने का अनुदेश दिया गया। निर्धन लोग, सामाजिक पिछड़ेपन से पीड़ित समुदाय, अल्प संख्यक समूहों के लोग आदि हमारे समाज के पहचाने गए दुर्बल वर्ग हैं। समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध नहीं होने के कारण इन वर्गों के लोग आर्थिक रूप से अल्प विकसित रहे हैं। कृषि क्षेत्र को ऋण के उप–लक्ष्य की सलाह देते हुए आरबीआई ने खास तौर पर बैंकों को उनके प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण की 25 प्रतिशत सीमा तक या उनके निवल बैंक ऋण के 10 प्रतिशत की राशि मार्च 1985 तक समाज के दुर्बल वर्गों को ऋण के तौर पर देने की सलाह दी गई। निधिकरण के कथित लक्ष्य सभी प्रकार के अग्रिम के 40 प्रतिशत तक प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के समग्र लक्ष्य के अंदर हासिल किए जाने थे। बैंकों से प्राथमिकता क्षेत्रों को उचित महत्व देने के लिए कहा गया, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में दुर्बल और अपेक्षित वर्ग हैं, जिन्हें ऋण पाने की जरूरत है। इसका उद्देश्य इन दुर्बल वर्गों को आर्थिक विकास की मुख्य धारा में लाना है।

आरबीआई ने विभिन्न अध्ययन समूहों / समितियों की सिफारिशों पर विभिन्न अवसरों पर प्राथमिकता क्षेत्र ऋण से संबंधित दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। वर्तमान में, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के 40 प्रतिशत के समग्र लक्ष्य के अंदर समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या क्रेडिट इक्विवेलेंट एमाउंट ऑफ ऑफ–बैलेंस शीट एक्सपोजर (सीईएओबीएसई) के 10 प्रतिशत से अधिक राशि दुर्बल वर्गों को ऋण देने का लक्ष्य है। 20

शाखाओं या इससे अधिक वाले विदेशी बैंकों को 31.03.2018 को समाप्त 5 वर्ष के अंदर यह लक्ष्य पूरा किया जाना था। ये मानक 20 शाखाओं से कम वाले विदेशी बैंकों पर लागू नहीं है।

बैंक प्राथमिकता क्षेत्र में 'दुर्बल वर्गों' की श्रेणी में बताए गए उधार निर्णय वाले व्यक्तियों को ऋण देता है।

1. छोटे और उपेक्षित किसान : छोटा किसान 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर की भूमि वाला किसान है तथा 1 हेक्टेयर तक भूमि वाले किसान को उपेक्षित किसान कहते हैं। आम तौर पर इन किसानों को अपने खेती के प्रचालनों का सामान खरीदने के लिए पर्याप्त राशि के बैंक ऋण समय पर पाने की जरूरत होती है। नकद सीमा खाते वाले 'किसान क्रेडिट कार्ड' दिए जाते हैं, जो सबसे अधिक लोकप्रिय बैंकिंग उत्पाद है, जिनका उपयोग ये किसान करते हैं। खेती से संबंधित अन्य गतिविधियों तथा खेती के उपकरणों में निवेश, सावधिक /मांग पर ऋण के रूप में तथा नकद ऋण सुविधा उनकी भूमि की माप पर निर्भर करते हुए भी वित्त की सुविधा प्रदान की जाती है। यह उनकी भूमि के साथ उस पर खेती के उद्देश्य और पुनः भुगतान अनुसूची पर भी निर्भर करता है। सम्मिश्रित सीमाएं उपेक्षित किसानों के लिए मंजूर की जा सकती है। बैंक के वित्त से तैयार परिसंपत्तियों पर प्रभार बनाने के जरिए मुख्य प्रतिभूति ली जाती है। इसमें 1 लाख रुपए तक के फसल ऋण के लिए कोई मार्जिन और को–लेटरल प्रतिभूति की जरूरत नहीं होती। उप–लक्ष्यों को पूरा करने की गणना के लिए इस तालिका में 'छोटे और उपेक्षित किसानों' को भी शामिल किया जाता है।

   क. भूमिहीन मजदूर, किराएदार किसान, मौखिक पट्टेदार और बटाईदार, छोटे और सीमांत किसान जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए निर्धारित सीमा के अंदर भूमि पर कब्जा करते हैं।

   ख. छोटे और सीमांत किसानों के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) या संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), सीधे कृषि और संबद्ध गतिविधियों में संलग्न हैं, यदि बैंकों द्वारा इस तरह के ऋणों का अलग–अलग डेटा बनाए रखा जाता है।

   ग. किसानों की उत्पादक कंपनियों और किसानों की सहकारिता सीधे कृषि और संबद्ध गतिविधियों में शामिल है, जिसमें 75 प्रतिशत या अधिक सदस्य लघु और सीमांत किसान हैं, जिनके पास कुल भूमि का 75 प्रतिशत या अधिक है।

2. दस्तकार, ग्राम और कुटीर उद्योग, जिनकी ऋण सीमा 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है : दस्तकार ऐसे पारंपरिक कुशल व्यक्ति होते हैं जो हाथों से सामान बनाते हैं और उनके पास अपने कामकाज की स्थापना और उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। ये गांव के गरीब और निरीक्षण व्यक्ति होते हैं। ये फर्नीचर, हाथ से बुने कपड़े, चमड़े के सामान, रंगीन बर्तन आदि बनाते हैं। इनकी दस्तकारी प्रशंसा योग्य होती है। ग्राम और कुटीर उद्योगों का भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये उद्योग कम मशीनों और कम निवेश की जरूरत से चलते हैं। ये गांव में रोजगार पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। खादी और

ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना इन उद्योगों की सहायता के लिए सरकार द्वारा की गई है। इनकी वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए आम तौर पर बैंक द्वारा सम्मिश्रित सीमा की राशि मंजूर की जाती है जिसमें सावधि ऋण और कामकाजी पूंजी की जरूरतें शामिल होती हैं। यह उद्योग आम तौर को–लेटरल प्रतिभूति और तीसरे पक्ष की गारंटी नहीं दे सकते हैं और इसलिए बैंक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट से इनकी गारंटी लेकर इन्हें ऋण देना पसंद करते हैं।

3. सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन की कई योजनाएं लाई गई हैं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) और हाथ से मैला उठाने वाले लोगों के पुनर्वास हेतु स्व रोजगार योजना (एसआरएमएस)। एनआरएलएम के तहत, बैंकों द्वारा समाज के दुर्बल वर्गों की ओर से बनाए गए स्व सहायता समूह की व्यावहारिक गतिविधियों को करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, ताकि उन्हें गरीबी से बाहर लाने का वास्तविक उद्देश्य पूरा किया जा सके। इसके लिए 10 लाख रुपए के ऋण तक किसी प्रतिभूति और मार्जिन को देने की जरूरत नहीं होती है। बैंक का ऋण मांग / सावधिक ऋण के अनुसार दिया जाता है और यह किसी पूंजी सब्सिडी के बिना दोहराई गई राशि के तौर पर दिया जाता है। भिन्न क्षमता वाले व्यक्तियों के एसएचजी और महिलाओं के एसएचजी, बुजुर्गों, ट्रांसजेंडर आदि को इस योजना में ऋण देने की इकाइयों के तौर पर विचार में लिया जाता है। एनयूएलएम में शहरी क्षेत्रों के निर्धन लोग, जो न तो किसी रोजगार में हैं या किसी लाभकारी रोजगार में नहीं है, उन्हें विनिर्माण / सेवा / ट्रेड क्षेत्र में अपनी व्यापार इकाइयों को शुरू करने के लिए ऋण दिए जाते हैं। महिला / अनु. जाति / अनु. जनजाति / भिन्न क्षमता वाले लोगों / अल्प संख्यक उधारकर्ताओं को ऋण देने के लिए बैंकों हेतु उप – लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जबकि अन्य योजनाओं के लिए भी बैंकों द्वारा वित्त प्रदान किया जा सकता है। ऋण को–लेटरल के बिना प्रदान किए जाते हैं। स्व सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज सब्सिडी उपलब्ध है। एसआरएमएस की योजना के तहत बैंकों द्वारा अच्छी व्यापार गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं जिनसे लाभार्थी को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए पर्याप्त आय मिल सकती है और वे मैला उठाने के कार्य को छोड़ सकते हैं। बैंक वित्त के साथ तैयार की गई परिसंपत्तियों को गिरवी रखने के लिए बैंकों द्वारा प्रतिभूति तय की गई है। ब्याज सब्सिडी और ऋण से जुड़ी सब्सिडी भी योजना के तहत उपलब्ध है।

4. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां : बैंकों को अनुदेश दिया गया है कि जरूरी फॉर्म को भरने तथा ऋण प्रदान करने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अनु. जाति / अनु.जनजाति के गरीब लाभार्थियों की सहायता करें। केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई प्रमुख ऋण योजनाओं के तहत अनु. जाति / अनु.जनजाति के लाभार्थियों को कुछ रियायतें प्रदान की गई हैं। एक अनु. जाति / अनु.जनजाति लाभार्थी के आवेदन को बैंक के शाखा स्तर पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगले उच्च स्तर द्वारा इसे अस्वीकार करना आवश्यक है। बैंकों को अनुदेश दिया गया है कि वे आवेदन तथा अन्य जरूरी फार्म हिन्दी / अंग्रेजी / स्थानीय भाषाओं में मुद्रित कराएं। बैंकों को गतिविधि तथा ऋण की योजना पर निर्भर करते हुए ब्याज, प्रतिभूति और मार्जिन से संबंधित मानकों का पालन करने की जरूरत होती है। निधिकृत राशि जरूरत के आधार पर होनी चाहिए।

5. ब्याज की अलग अलग दर (डीआरआई) योजना के लाभार्थी : इस योजना में समाज को दुर्बल वर्गों को उत्पादक / लाभकारी व्यापार गतिविधियों में शामिल करने के लिए 4 प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित 15000 रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। बैंक व्यापार गतिविधि की जरूरत के अनुसार सावधि ऋण / कामकाजी पूंजी प्रदान करते हैं। कथित योजना के तहत कुल अग्रम राशि की 40 प्रतिशत राशि अनु. जाति / अनु.जनजाति लाभार्थी को दी जाती है।
6. स्व सहायता समूह : सामान्य तौर पर 10–12 व्यक्ति, जो कमोबेश एक जैसे सामाजिक – आर्थिक स्तर वाले होते हैं, वे एक साथ मिलकर एक समूह बनाते हैं, जिसका उद्देश्य सामूहिक रूप से उनकी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को सुलझाना होता है। इन्हें स्व सहायता समूह कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य पहले अपनी छोटी सी आय को बचाते हैं और इस बचत का उपयोग समूह के जरूरतमंद सदस्यों की सहायता के लिए करते हैं। इसके कामकाज में पारदर्शिता होती है और उनके मिले जुले निर्णय से वे हमेशा एकजुट रहते हैं। ये सदस्य आम तौर पर गरीब होते हैं, ये किसी आम कारण के लिए काम करना सीखते हैं। आगे चलकर जब समूह परिपक्व हो जाता है तब वे बैंक से सहायता लेते हैं, बैंक उन्हें आय उत्पादन की गतिविधियों के लिए वित्त प्रदान करता है जिससे इनकी सामाजिक जरूरतें भी पूरी होती हैं। बैंक द्वारा समूह को उच्च ब्याज दर पर ऋण के पुनः भुगतान के लिए भी ऋण दिया जाता है जिसका लाभ समूह / सदस्य उठाते हैं। इसका अंतिम लक्ष्य समूह के सदस्यों की गरीबी को कम करना है। बैंक लिंकेज योजना नाबार्ड द्वारा डिजाइन की गई थी।
7. साहूकारों के ऋण से दबे तनावग्रस्त किसान : बैंक द्वारा किसानों को अधिक ब्याज दर वाले ऋण का पुनः भुगतान करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है जो वे साहूकार आदि से लेते हैं, ताकि उनके कष्ट में कमी आ सके। सामान्य तौर पर, ब्याज की कम दर के उद्देश्य से कम अवधि के ऋण दिए जाते हैं और पुनः भुगतान की किश्त उनकी आय उत्पादन के अनुसार तय की जाती है।
8. किसानों के अलावा तनावग्रस्त अन्य व्यक्ति के मामले में प्रति उधारकर्ता जिन्हें साहूकार को अधिक से अधिक 1 लाख रुपए की राशि चुकानी है : बैंकों द्वारा अन्य लोगों को साहूकारों या अन्य लोगों से लिए गए उच्च ब्याज दर वाले ऋण के लिए भी ऋण प्रदान किया जाता है, ताकि उनके कष्ट में कमी लाई जा सके। सामान्य तौर पर, ब्याज की कम दर के उद्देश्य से कम अवधि के ऋण दिए जाते हैं और पुनः भुगतान की किश्त उनकी आय उत्पादन के अनुसार तय की जाती है।
9. अलग अलग महिला लाभार्थी, प्रति उधारकर्ता 1 लाख रुपए तक : एक अध्ययन से पता लगता है कि भारत में व्यापार ऋण पाने के लिए महिलाओं की संख्या बहुत पीछे है। राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति की घोषणा 2015 में की गई थी, जिसमें महिलाओं की उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट निर्देश था। अब राज्यों में महिला लाभार्थियों को बैंक ऋण प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं मौजूद हैं, जैसे 'महिलाओं के लिए ट्रेड संबंधी उद्यमशीलता और विकास योजना (टीआरईएडी)', जिसे एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था। इस योजना में बैंक का ऋण गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, जिससे प्रशिक्षण, वित्तीय सलाह आदि दी जाती है एवं सरकार की ओर से अनुदान भी उपलब्ध है। आम तौर पर बैंकों में मार्जिन के मानकों, वित्त की प्रतिभूति और राशि का

पालन, वित्त की योजना के अनुसार किया जाता है, किन्तु ब्याज में रियायत की छूट महिला लाभार्थियों को दी जाती है।

10. निःशक्त व्यक्ति : भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 268 मिलियन लोग निःशक्त हैं। वर्ष 2015–16 में भारत सरकार ने ''निःशक्त व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता'' की योजना आरभ की जिसमें कुशल और शिक्षित निःशक्त व्यक्तियों को रोजगार या अपना व्यापार शुरू करने के लिए एक मंच दिया जाता है। भारत सरकार ने 2022 तक 2.5 मिलियन निःशक्त व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा पात्र ऋणदाता संस्थानों को किसी भी नागरिक को 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता होने पर कुछ विशेष शर्तों के अधीन को–लेटरल के बिना पुनःवित्त (refinance) प्रदान करने की सुविधा दी जाती है। इसकी गतिविधि सीजीएफटी द्वारा गारंटी की पात्र होनी चाहिए। बैंकों द्वारा इन व्यक्तियों को केवल विकलांग नहीं माना जाना चाहिए बल्कि उन्हें भिन्न क्षमता वाला व्यक्ति मानना चाहिए। यदि किसी पुनः वित्त की जरूरत नहीं है तो बैंक मार्जिन, प्रतिभूति और ब्याज मानकों का पालन करते हुए इन लोगों को ऋण दे सकते हैं, जैसा कि निधिकरण की सामान्य योजनाओं के तहत दिया जाता है।
11. बैंकों की ओर से प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाय) खातों के तहत अधिकतम 5000 रु. तक का ओवरड्राफ्ट करने की सुविधा सूक्ष्म उद्यमियों को देने पर विचार किया जाता है, यदि उधार लेने वाले परिवार की आय ग्रामीण क्षेत्रों में 100,000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं है और गैर ग्रामीण क्षेत्रों में 1,60,000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं है : बैंक पीएमजेडीवाय खातों में 5000 रु. की अधिकतम सीमा की ओवर ड्राफ्ट सुविधा प्रदान करते हैं, जो पिछले 6 माह के दौरान वित्तीय आपातकालीन स्थिति पूरी करने के लिए प्रतिभूति / उद्देश्य / वास्तविक उद्देश्य के लिए दबाव डाले बिना साधारण दस्तावेजों के साथ दी जाती है।
12. सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय : आरबीआई ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को अनुदेश दिया है कि वे समाज के अल्प संख्यक समुदाय के लोगों के साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करते हुए उन्हें बैंक ऋण प्रदान करें। सिख, मुस्लिम, ईसाई, जोरोस्ट्रियन, बौद्ध और जैन अल्प संख्यक समुदाय हैं, जैसा भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया है। यदि इनमें से कोई समुदाय किसी राज्य में बहुलता में है तो केवल अन्य अधिसूचित समुदायों को वहां अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता है।

अभ्यास : समाज के कमजोर वर्गों में माने जाने वाले विभिन्न उधारकर्ताओं के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण देने पर एक नोट तैयार करें।

कार्य : अध्यापक को लीड जिला प्रबंधक द्वारा ''सोसायटी के कमजोर वर्गों को बैंकों द्वारा ऋण'' पर एक व्याख्यान की व्यवस्था करनी चाहिए। छात्रों को नोट्स लेने चाहिए और विषय की अपनी समझ बढ़ाने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए।

आकलन :

क. निम्नलिखित के उत्तर दें : –

1. समाज के कमजोर वर्गों द्वारा आप क्या समझते हैं?
2. प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के उद्देश्य से लघु और सीमांत किसानों का वर्णन करें।
3. कमजोर वर्ग के रूप में, ऋण के लिए स्वयं सहायता समूह को समझाएं।
4. संक्षेप में, ऋण की डीआरआई योजना बताएं।
5. भारत सरकार द्वारा 'अल्पसंख्यक समुदाय' के रूप में अधिसूचित कौन से समुदाय हैं?

ख. रिक्त स्थानों को भरें : –

1. 1972 में जब भारत में प्रचालित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा . . . . . को ऋण देने की शुरूआत की गई, इसे आधिकारिक तौर पर आरबीआई द्वारा समझाया गया था।
2. दस्तकार, ग्राम और कुटीर उद्योग, जिनकी ऋण सीमा 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है, ... के रूप में माना जाता है।
3. डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट श्योजना के तहतए लाभार्थियों को ब्याज दर . . . . . में. . . . . तक ऋण दिया जाता है
4. भारत सरकार ने 2022 तक विकलांगता वाले 2.5 मिलियन व्यक्तियों को . . . . . उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है।

ग. बताएं कि निम्नलिखित कथन सही या गलत :

1. वर्तमान में, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के 40 प्रतिशत के समग्र लक्ष्य के अंदर समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या क्रेडिट इक्विवेलेंट एमाउंट ऑफ ऑफ–बैलेंस शीट एक्सपोजर (सीईएओबीएसई) का लक्ष्य है।
2. छोटा किसान 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर की भूमि वाला किसान है।
3. गैर–संस्थागत ऋणदाताओं को अपने ऋण को चुकाने हेतु कर्जदार के रूप में 1 लाख रुपए से अधिक ऋण नहीं देने से परेशान किसानों को बैंक ऋण देने को कमजोर वर्ग के लिए वित्त माना जाता है।
4. व्यक्तिगत महिला लाभार्थियों को प्रति ऋण 2 लाख रुपए तक का बैंक ऋण, एक कमजोर वर्ग का वित्त माना जाता है।
5. प्रधानमंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाताधारकों को अधिकतम 5,000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट दिए जा सकते हैं, जिन्होंने पिछले 6 महीनों के दौरान संतोषजनक रूप से अपने खाते का संचालन किया है।

उत्तर :

ख. 1. प्राथमिकता क्षेत्र 2. कमजोर वर्ग 3. 15000, 4 प्रतिशत रु. 4. कौशल प्रशिक्षण
5. एनपीए, देय राशि से अधिक

ग. 1. सही 2. सही 3. गलत 4. गलत 5. सही

आकलन गतिविधियों के लिए जांच सूची

निम्नलिखित जांचसूची का उपयोग करते हुए देखें कि क्या आप आकलन गतिविधि के लिए सभी आवश्यकताएं पूरी करते हैं।

1. बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के उद्देश्य से कमजोर वर्गों में संकल्पना और विभिन्न उधारकर्ताओं को समझना।
2. कमजोर वर्गों को ऋण देने हेतु आरबीआई द्वारा निर्धारित लक्ष्य का ज्ञान।
3. कमजोर वर्गों के तहत विभिन्न उद्देश्यों के लिए वित्त की आवश्यकता की स्पष्टता।

निष्पादन मानक	हां	नहीं
बैंकों द्वारा ऋण देने के लिए समाज के कमजोर वर्गों की संकल्पना को समझने में सक्षम।		
कमजोर वर्गों को ऋण देने के लिए लक्ष्य समझाने में सक्षम		
बैंकों द्वारा उधार देने के लिए कमजोर वर्गों में विचार किए जाने वाले विभिन्न उधारकर्ताओं का वर्णन करने में सक्षम		
कमजोर वर्गों के तहत विभिन्न उद्देश्यों के लिए वित्त की आवश्यकता को समझने में सक्षम		

सत्र – 5

एसएसएमई हेतु सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं
(GOVERNMENT SPONSORED SCHEMES FOR MSMEs)

संगत ज्ञान

एमएसएमई का अर्थ है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और इन्हें एमएसएमईडी अधिनियम 2006 में परिभाषित किया गया है। यह सत्य कहा गया है कि एमएसएमई क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का ''वृद्धि इंजन'' है। इस क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर पैदा करने की संभावना है। क्षेत्रीय असंतुलन को सीमित करने, विनिर्माण के क्षेत्र में नई ऊंचाई हासिल करने तथा सेवा प्रदान करने में इस क्षेत्र की भूमिका उल्लेखनीय है। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत का योगदान देता है। क्षेत्र द्वारा ''नौकरी पाने के इच्छुक'' लोगों को नौकरी पाने में प्रेरणा दी जाती है और इससे विनिर्मित उत्पाद में 45 प्रतिशत तथा देश के निर्यात में 40 प्रतिशत का योगदान दिया जाता है।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय द्वारा कई योजनाएं बनाई और आरंभ की गई हैं जो इस क्षेत्र के विकास के लिए हैं। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कुछ योजनाओं पर इस सत्र में चर्चा की गई है।

1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister's Employment Generation Program)

यह योजना 2008 में नई सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना द्वारा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए शुरू की गई थी जो विनिर्माण, सेवा और व्यापार गतिविधियों में संलग्न हैं। यह योजना शहरी और ग्रामीण भारत में लागू है। इस योजना के प्रयोजन के लिए ग्रामीण क्षेत्र की औसत आबादी 20000 तक होनी चाहिए और यह गांव राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार संबंधित राज्य में इस श्रेणी में हानो चाहिए। एमएसई मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केन्द्र और बैंकों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सहकारी बैंकों तथा अनुमोदित निजी बैंकों के जरिए कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी है।

पात्रता मापदंड :

- योजना के तहत लाभार्थी व्यक्ति, गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों का स्वयं सहायता समूह, स्थिति, धर्मार्थ ट्रस्ट (charitable trusts), सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत इकाइयां, उत्पादन गतिविधियां करने वाली सहकारी समितियां हो सकती हैं। एक परिवार से केवल एक ही सदस्य लाभार्थी हो सकता है।
- 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति।

- आवेदक को उन परियोजनाओं के लिए न्यूनतम 8वीं कक्षा पास होना चाहिए जिनकी लागत क्रमशः विनिर्माण और सेवा / व्यापार क्षेत्र में 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए से अधिक है।
- 2–3 सप्ताह के लिए लाभार्थियों का 'उद्यम विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण' आवश्यक है।
- आवेदक बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
- लाभार्थियों के नाम तय करने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स जिम्मेदार है।

परियोजना लागत : विनिर्माण क्षेत्र में और सेवा / व्यापार क्षेत्र में क्रमशः 25 लाख रुपए और 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए।

मार्जिन : सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों और विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए परियोजना की लागत क्रमशः 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत। विशेष श्रेणियों में शामिल हैं अनु. जाति / अनु. जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, महिलाएं, शारीरिक विकलांग, पूर्व सैनिक, अल्प संख्यक, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पर्वतीय और सीमा क्षेत्र के लाभार्थी।

ब्याज की दर : जैसा कि ऋणदाता बैंक द्वारा तय किया जाए।

प्रतिभूति : बैंक के वित्त से खरीदी गई परिसंपत्तियों को गिरवी रखना। इसमें 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए किसी को–लेटरल की जरूरत नहीं है।

सब्सिडी : सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों में परियोजना लागत की क्रमशः 25 और 15 प्रतिशत की सब्सिडी उपलब्ध है। विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों में परियोजना लागत की क्रमशः 35 और 25 प्रतिशत की सब्सिडी उपलब्ध है। सब्सिडी की राशि तीन वर्ष के अंत में ऋण खाते में डाली जाती है, तब तक इसे किसी ब्याज के बिना 'फिक्स्ड डिपॉजिट' में रखा जाता है। यदि खाता गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति (non-performing asset) बन जाता है तो सब्सिडी की राशि को भी 3 वर्ष से पहले उपयोग किया जा सकता है। अनुपात के अनुसार सब्सिडी को 3 वर्ष के अंदर वापस कर दिया जाएगा।

i. कामकाजी पूंजी हिस्से का 100 प्रतिशत उपयोग खाते से स्पष्ट नहीं है और

ii. वित्त का उपयोग स्वीकृत सीमा के 75 प्रतिशत से कम है।

पुनः भुगतान अवधि : निर्धारित ऋण स्थगन (moratorium) अवधि पूरी होने के बाद 3–7 वर्ष की अवधि।

2. क्रेडिट लिंक्ट कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस)

यह योजना राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) (National Manufacturing Competitiveness Program) के तहत किसी एमएसएई के प्रौद्योगिकी उन्नयन (technology up-gradation) के लिए संकल्पित की गई है। नवीनतम / नए विचारों के साथ प्रौद्योगिकी को इसके उन्नयन में शामिल किया जाता है। एमएसई (बहुत छोटे, खादी, ग्राम और कॉयर उद्योग सहित) के लिए 15 प्रतिशत की अपफ्रंट सब्सिडी के रूप में सहायता दी जाती है, जो उन्हें संस्थागत ऋण के तौर पर निर्दिष्ट उपक्षेत्रों में प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा योजना के तहत अनुमोदित उत्पादों के लिए दी जाती है। पात्र एमएसई सहायता के लिए नोडल बैंक / एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं।

3. निष्पादन और ऋण दर योजना (**Performance and Credit Rating Scheme**)

इस योजना को एक रेटिंग (एक पेशेवर व्यक्ति के विचार के आधार पर) प्रदान करने के लिए संकल्पित किया गया है जो एमएसई की क्षमता और क्रेडिट मूल्य पर की जाती है। इससे एमएसई को सुधार लाने और आसान शर्तों पर लागत प्रभावी ऋण पाने में सहायता मिलती है। योजना के अंतर्गत रेटिंग उनके क्रेडिट और निष्पादन के आधार पर की जाती है। जितनी अच्छी रेटिंग होती है, उससे निश्चित रूप से एमएसई यूनिट को अपने ग्राहकों / खरीदारों / विक्रेताओं की ओर से स्वीकार्यता बढ़ाने में मदद मिलती है। यह सहायता सब्सिडी के साथ पहले वर्ष के लिए सब्सिडी युक्त रेटिंग शुल्क पर 25000 रुपए, 30000 रुपए या 40000 रुपए की सीमा के साथ दी जाती है जो इकाई के कारोबार के अनुसार तय किया जाता है। कारोबार के स्तर 1) 50 लाख रुपए तक, 2) 50 लाख रुपए से अधिक 200 लाख रुपए तक, 3) 200 लाख रुपए से अधिक। कोई एमएसई जो योजना के तहत रेटिंग पाने में दिलचस्पी रखता है, वह सीधे तौर पर निर्दिष्ट दस्तावेजों और रेटिंग शुल्क के हिस्से के साथ किसी भी अनुमोदित रेटिंग एजेंसी से संपर्क कर सकता है।

4. ब्याज सब्सिडी पात्र प्रमाणपत्र (**Interest Subsidy Eligibility Certificate**)

यह योजना खादी संस्थानों (जिनमें कामकाजी पूंजी की कमी है) के लिए निधि हेतु आरंभ की गई थी, जो ''खादी कार्यक्रम'' में संलग्न है और उन्हें बैंकों से 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर कामकाजी पूंजी उधार लेनी होती है। यह सहायता सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से बैंक के वास्तविक ऋण दर तथा चार प्रतिशत में अंतर के भुगतान के रूप में दी जाती है। ऋणदाता बैंक कथित अंतर वाली राशि को केवीआईसी से लेता है और उन्हें खादी संस्थान द्वारा ऋण के लिए आवेदन करते समय केवीआईसी द्वारा जारी ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

5. मुद्रा ऋण (**MUDRA Loans**)

मुद्रा का पूरा नाम माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एण्ड रिफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा बैंक अप्रैल 2015 में अस्तित्व में आया जो छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का संस्थान है। यह सिडबी की सहायक कंपनी के तौर पर कार्य करता है। इस बैंक का लक्ष्य युवा, शिक्षित, कुशल कामगारों तथा अन्य उद्यमियों (महिलाओं सहित) को ऋण प्रदान करना है, जो अन्यथा औपचारिक बैंकिंग प्रणाली की ऋण सुविधाओं से वंचित रहते हैं। बैंक ने उधार लेने वालों की 3 श्रेणियां बनाई है, जो हैं आरंभिक, मध्य चरण के उधारकर्ता और उच्चतर स्तर पर बढ़ने के लिए उधार मांगने वाले उधारकर्ता। इन उधारकर्ताओं की जरूरतें पूरी करने के लिए बैंक की ओर से 3 ऋण उत्पाद बनाए गए हैं नामतः, 'शिशु' : 50000 रुपए तक का ऋण; 'किशोर' : जिन्हें 50000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है; 'तरुण' : जिन्हें 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। गारंटी ''सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड'' से प्रदान की जाती है, यदि कोई को–लेटरल या तीसरे पक्ष की गारंटी सदस्य ऋणकर्ता संस्थान (बैंक) द्वारा नहीं प्राप्त की गई है। इसका कवर चूक के मामले में शेष राशि का 50 प्रतिशत है, जिसमें से शुरूआती 5 प्रतिशत की हानि ऋण देने वाले सदस्य संस्थान (बैंक) द्वारा वहन की जाती है।

6. राष्ट्रीय इक्विटी निधि (**National Equity Fund**)

इस निधि का प्रबंधन सिडबी द्वारा किया जाता है। कथित योजना के तहत, एमएसई को 5 प्रतिशत सेवा प्रभार पर इक्विटी प्रकार की सहायता दी जाती है। एमएसई क्षेत्र में 50 लाख रुपए तक की परियोजना लागत वाली परियोजनाओं को इसकी पात्रता है। यह सहायता अधिकतम 10 लाख रुपए तक 25 प्रतिशत के साथ दी जाती है।

सहायता के लिए पात्र परियोजनाएं नीचे इस प्रकार हैं।

i. नई परियोजनाएं और मौजूदा इकाइयां एमएसई क्षेत्र में विस्तार / आधुनिकीकरण / प्रौद्योगिकी उन्नयन–प्रबंधन आदि, मेट्रो को छोड़कर कहीं भी स्थित हैं।

ii. सिडबी ने परियोजना के सावधि ऋण घटक के लिए पुनर्वित्त को मंजूरी दी है।

iii. संपूर्ण क्रेडिट आवश्यकता एक बैंक / राज्य वित्तीय निगम द्वारा प्रदान की जानी चाहिए।

परियोजना लागत के न्यूनतम 10 प्रतिशत मार्जिन का अंशदान प्रवर्तक (promoters) द्वारा दिया जाना चाहिए। इक्विटी प्रकार की सहायता 'सॉफ्ट लोन' के रूप में 7 वर्ष की पुनः भुगतान सहित ऋण स्थगन (moratorium) की अवधि अधिक से अधिक 3 साल के साथ उपलब्ध है। सॉफ्ट लोन के लिए कोई प्रतिभूति तय नहीं की गई है।

7. स्टार्टअप इंडिया योजना (**Start Up India Scheme**)

यह एक कार्य योजना है जो भारत के उद्यमियों को समर्थन और पोषण देने वाले एक नेटवर्क को बढ़ाने के लिए तैयार की गई है। यह योजना 2016 में नियमों, प्रक्रियाओं तथा अनुपालन के मानकों को सरल बनाने के लिए लाई गई थी। इसका लक्ष्य नवाचार के लिए अनुकूल व्यापार माहौल बनाना तथा अनुपालन की लागत को कम रखना है ताकि उद्यमी अपनी मूल व्यापार गतिविधि की गुणवत्ता (quality) पर ध्यान दे सकें।

कंपनी के रूप में एक इकाई, भागीदारी या सीमित देयता भागीदारी से 'स्टार्ट अप इकाई' की योग्यता पता लगती है यदि

- यह न्यूनतम 5 वर्षों से मौजूद है। टर्नओवर 25 करोड़ रुपए के अंदर है।
- यह मौजूद संस्थाओं के विभाजन या पुनर्निर्माण के द्वारा अस्तित्व में नहीं आया है।
- इकाई ने एक नए उत्पाद या सेवा या प्रक्रिया के विकास और व्यावसायीकरण में ध्यान केंद्रित किया है या इकाई का लक्ष्य मौजूदा उत्पाद या सेवा या प्रक्रिया में एक उल्लेखनीय सुधार लाना है ताकि नवाचार या सुधार से ग्राहकों के लिए इसका मूल्य बढ़ा सकें।
- सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त 'इनक्यूबेटर' ने प्रमाणित किया है कि इकाई व्यवसाय की नए स्वरूप में संलग्न है।

इसमें 10 लाख रुपए से 100 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध हैं, तथा राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी द्वारा स्टार्ट अप को ऋण की गारंटी दी जाती है। इन्हें तीन साल तक आयकर का भुगतान नहीं करना होता है। इकाई द्वारा पेटेंट लागत के 80 प्रतिशत तक छूट पाने का दावा किया जा सकता है। स्टार्ट अप इकाइयों को विनियामक अनुपालन में स्व प्रमाणन अपनाने की अनुमति है।

8. स्टैंड अप इंडिया योजना (**Stand-up India Scheme**)

इस योजना को जनवरी 2016 में सरकार का अनुमोदन दिया गया। इस योजना का उद्देश्य उद्यमशीलता का विकास और उसे समर्थन देना है, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ताओं और महिला उधारकर्ताओं को न्यूनतम 2.5 लाख योजना आरंभ होने से 36 माह के अंदर दिए जाते हैं। योजना का उद्देश्य यह भी है कि विनिर्माण, सेवा या ट्रेड क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए से 100 लाख रुपए तक का ऋण पाने में सहायता दी जाए। नए कारखाने, विद्युत संयंत्र आदि ग्रीन फील्ड उद्यम के उदाहरण हैं। न्यूनतम 51 प्रतिशत शेयर तथा इकाई का नियंत्रण या तो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अथवा महिला उधारकर्ता के पास गैर वैयक्तिक (non-individual) इकाई में होना चाहिए। यह गारंटी किसी को–लेटरल या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लि. से मिलती है। इस योजना में पूर्व ऋण और गतिविधि के प्रचालन के दौरान सहायता का समर्थन पाने के लिए प्रावधान है। सिडबी में रि–फाइनेंस के लिए एक विंडो 10000 करोड़ रुपए के साथ बनाई गई है।

'एमएसएमई' क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के बारें में अधिक जानकारी के लिए संबंधित आधिकारिक साइट इंटरनेट पर देखी जा सकती हैं।

अभ्यास :

1. एमएसएमई क्षेत्र में किसी भी तीन ''सरकारी प्रायोजित योजनाओं'' पर एक नोट तैयार करें।
2. 'स्टार्ट अप इंडिया' योजना पर एक कक्षाकक्ष प्रस्तुतीकरण दें।

कार्य :

अध्यापक, एमएसएमई में विषय ''सरकारी प्रायोजित योजनाएं'' पर अपने जिले के 'लीड जिला मैनेजर' का एक व्याख्यान की व्यवस्था करेंगे। छात्रों को व्याख्यान के बाद, उनकी समझ में अंतराल को भरने हेतु, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

आकलन :

क. निम्नलिखित के उत्तर दें : –

1. 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' योजना की व्याख्या करें।

2. 'क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम' का वर्णन करें।
3. 'राष्ट्रीय इक्विटी निधि' की व्याख्या करें।
4. 'ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र' के बारे में बताएं।
5. 'स्टार्ट–अप इंडिया योजना' का वर्णन करें।

ख. रिक्त स्थानों को भरें : –

1. यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई क्षेत्र . . . . . .का योगदान देता है।
2. 'स्टार्ट अप इंडिया' योजना में, इन्हें तीन साल तक . . . . . का भुगतान नहीं करना होता है।
3. यह सिडबी की . . . . . के तौर पर मुद्रा बैंक कार्य करता है।
4. स्टार्ट अप इकाई बनने के लिए . . . . . 25 करोड़ रुपए के अंदर होना चाहिए।
5. जिन्हें . . . . से 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है, मुद्रा ऋण में ''किशोर'' के रूप में नाम रखा गया।

ग. बताएं कि निम्नलिखित कथन सही या गलत :

1. एमएसएमई क्षेत्रीय असंतुलन को सीमित करने, विनिर्माण के क्षेत्र में नई ऊंचाई हासिल करने तथा सेवा प्रदान करने में इस क्षेत्र की भूमिका उल्लेखनीय है।
2. कथित योजना के तहत, एमएसई को 5 प्रतिशत सेवा प्रभार पर इक्विटी प्रकार की सहायता दी जाती है।
3. राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना में परियोजना लागत के न्यूनतम 20 प्रतिशत मार्जिन का अंशदान प्रवर्तक द्वारा दिया जाना चाहिए।
4. जितनी अच्छी रेटिंग होती है, उससे निश्चित रूप से एमएसई यूनिट को अपने ग्राहकों / खरीदारों / विक्रेताओं की ओर से स्वीकार्यता बढ़ाने में मदद मिलती है।
5. नए कारखाने, विद्युत संयंत्र आदि ग्रीन फील्ड उद्यम के उदाहरण हैं।

उत्तर :

ख. 1. 8 प्रतिशत 2. आयकर 3. सहायक कंपनी 4. टर्नओवर 5. 50000 रुपए

ग. 1. सही 2. सही 3. गलत 4. सही 5. गलत

आकलन गतिविधियों के लिए जांच सूची

निम्नलिखित जांचसूची का उपयोग करते हुए देखें कि क्या आप आकलन गतिविधि के लिए सभी आवश्यकताएं पूरी करते हैं।

1. एमएसएमई क्षेत्र के महत्व का ज्ञान
2. एमएसएमई क्षेत्र में विभिन्न 'सरकार प्रायोजित योजनाओं' को समझना।

निष्पादन मानक	हां	नहीं
एमएसएमई क्षेत्र के महत्व को स्पष्ट करने में सक्षम		
एमएसएमई क्षेत्र में विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं की व्याख्या करने में सक्षम।		

संदर्भ : इंटरनेट पर आरबीआई, नाबार्ड की आधिकारिक साइटें और अन्य संबंधित साइटें।